भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
* तारांकित प्रश्न संख्या 216

<u>दिनांक 16 मार्च, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

रबड़ (संवर्धन और विकास) विधेयक, 2022

***216. श्री एंटो एन्टोनी:**
एडवोकेट अदूर प्रकाश:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) क्या सरकार ने रबड़ अधिनियम, 1947 के निरसन और नए रबड़ (संवर्धन और विकास) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करने के संबंध में जनमत मांगा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितने सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या सरकार को रबड़ अधिनियम, 1947 को वापस न लिए जाने हेतु अनुरोध/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार की कोई योजना रबड़ अधिनियम, 1947 का निरसन करने संबंधी प्रस्ताव को वापस लेने की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केरल सरकार ने रबड़ (संवर्धन और विकास) विधेयक, 2022 के प्रारूप तथा मसाले (संवर्धन और विकास) विधेयक, 2022 के प्रारूप में संशोधन का सुझाव दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) क्या सरकार द्वारा इन विधेयकों को अंतिम रूप दिए जाने से पूर्व राज्य द्वारा सुझाए गए संशोधनों पर विचार किए जाने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ड.) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

रबड़ (संवर्धन एवं विकास) विधेयक, 2022 के संबंध में दिनांक16 मार्च, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 216 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग): देश में रबड़ और संबद्ध क्षेत्रों के विकास के संदर्भ में समग्र बाजार परिदृश्य में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। अतः कुछ पुरातन प्रावधानों को हटाने, व्यापार करने में आसानी के लिए अनुकूल वातावरण बनाने और विश्व स्तरीय रबड़ उद्योग बनाने के लिए, सरकार मौजूदा रबड़ अधिनियम 1947 को संशोधित करने पर विचार कर रही है। इस संबंध में, एक मसौदा विधेयक 'रबड़ (संवर्धन और विकास) विधेयक 2022' को व्यापक परामर्श और जनता/हितधारकों से दिनांक 9.4.2022 तक टिप्पणी/सुझाव प्राप्त करने के लिए इस विभाग और रबड़ बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रस्तुत किया गया है। दिनांक 10.03.2022 तक, 477 हितधारकों और जनता ने मसौदा विधेयक पर अपने सुझाव प्रस्तुत किए हैं, जिसमें कुछ सुझाव नया रबड़ (संवर्धन और विकास) विधेयक, 2022 प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में शामिल हैं ।

(घ) और (ड.) केरल सरकार ने मसौदा रबड़ (संवर्धन और विकास) विधेयक, 2022 और मसौदा मसाला (संवर्धन और विकास) विधेयक 2022 के कुछ प्रावधानों में संशोधन का सुझाव दिया है। मसौदा रबड़ (संवर्धन और विकास) विधेयक, 2022 पर सुझाव में अन्य बातों के साथ-साथ धारा 2 (यू) की परिभाषा में 'स्क्रैप रबर' के स्थान पर 'फील्ड कोगुलम' करना और धारा 2 के तहत परिभाषाओं में अन्य संशोधन, मसौदा विधेयक की धारा 4, 7, 13, 20, 29 में संशोधन, न्यूनतम और अधिकतम मूल्य निर्धारित करने से संबंधित धारा 30 को हटाना, आयातित प्राकृतिक रबड़ की कीमत को विनियमित करने के लिए एक खंड को शामिल करना आदि शामिल हैं।

मसौदा मसाला (संवर्धन और विकास) विधेयक, 2022 सुझावों में स्पाईसेस बोर्ड अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उत्पादन स्कीम केवल इलायची तक सीमित करना, मसाला, विशेष रूप से जैविक मसाले, उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए स्पाइसेस बोर्ड और राज्य संस्थानों के बीच घनिष्ठ तालमेल बनाना, राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे इलायची सम्पदा के मालिकों के पंजीकरण की वैधता पर आशंकाएं, मसालों के आयात और निर्यात के संबंध में केंद्र सरकार के लिए मसाला बोर्ड से परामर्श करने का प्रावधान, मसालों के आयात को प्रतिबंधित/नियंत्रित करने के लिए एक धारा जोड़ना, इलायची (लाइसेंसिंग और विपणन) नियम, 1987 का प्रतिसंहरण करना और मसौदा विधेयक की धारा 2, 3, 6, 8, 9,14 और 21 में कतिपय बदलाव / परिवर्धन शामिल हैं।

विधेयकों को अंतिम रूप देने से पहले केरल सरकार और जनता सहित हितधारकों से प्राप्त सभी सुझावों को ध्यान में रखा जाएगा।

******

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं.220*

<u>दिनांक 16 मार्च, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

भारत-यूक्रेन व्यापार

***220. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:**
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान भारत-यूक्रेन व्यापार का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने वर्तमान संकट के कारण भारत-रूस तथा भारत-यूक्रेन के बीच व्यापार का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) यूक्रेन तथा रूस को किए जाने वाले भारत के निर्यात के संदर्भ में यूक्रेन तथा रूस के साथ भारत के व्यापार पर वर्तमान रूस-यूक्रेन युद्ध का क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;
(घ) क्या केन्द्र सरकार को रूस-यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में वर्तमान व्यापार परिदृश्य की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार ने यूक्रेन में युद्धोपरांत परिदृश्य का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा युद्धोपरांत भारतीय कंपनियों का संभावित भविष्य क्या होगा; और
(च) क्या वर्तमान यूक्रेन-रूस संकट से भारत को जरूरतमंद देशों को गेहूँ के बंपर स्टॉक का निर्यात करने का अवसर मिल सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री</u>
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (च.): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

***

"भारत-यूक्रेन व्यापार" के संबंध में 16 मार्च 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 220 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान भारत-यूक्रेन व्यापार का विवरण इस प्रकार है:

मूल्य मिलियन अमरीकी डॉलर में

वर्ष	यूक्रेन		
	निर्यात	आयात	कुल व्यापार
2018-2019	390.8	2,341.03	2,731.82
2019-2020	463.81	2,060.79	2,524.60
2020-2021	450.97	2,139.86	2,590.83
अप्रैल-जनवरी 2022 (पी)	426.43	2,444.91	2,871.34

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस

(ख) जी हाँ, भारत से रूस को निर्यात की प्रमुख मदें फार्मास्यूटिकल्स, दूरसंचार उपकरण, लोहा और इस्पात, चाय, रासायनिक उत्पाद हैं और आयात की प्रमुख मदें पेट्रोलियम, मोती और अर्ध-कीमती पत्थर, कोयला, उर्वरक, वनस्पति तेल हैं।

भारत से यूक्रेन को निर्यात की प्रमुख मदें फार्मास्यूटिकल्स, दूरसंचार उपकरण, मूंगफली, सिरेमिक, लोहा और इस्पात हैं और आयात की प्रमुख मदें वनस्पति तेल, उर्वरक, अकार्बनिक रसायन, प्लास्टिक और प्लाईवुड तथा संबद्ध उत्पाद हैं।

(ग और घ) वाणिज्य विभाग को वर्तमान स्थिति से अवगत कराया है और आवश्यक आयात की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों के साथ नियमित परामर्श किया जाता है। उद्योग से प्राप्त फीडबैक के अनुसार, भारत से कुछ उत्पादों के निर्यात के प्रभावित होने की संभावना है जिनमें फार्मास्यूटिकल्स, दूरसंचार उपकरण, चाय, कॉफी, समुद्री उत्पाद, आदि शामिल हैं।

(ङ.) युद्धोपरांत के परिदृश्य के अधिक सटीक निहितार्थ का आकलन स्थिति स्थिर होने के पश्चात ही किया जा सकता है।

(च) चूंकि यूक्रेन और रूस दोनों ही गेहूँ के प्रमुख निर्यातक हैं, जिनका वैश्विक गेहूँ व्यापार में 25% से अधिक हिस्सा है, इन देशों से निर्यात विच्छेद से भारत को हमारे गेहूँ के निर्यात को बढ़ाने का अवसर उपलब्ध होता है।

***

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2301

दिनांक 16 मार्च, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

चाय बागानों में कोयले की कमी

2301. श्री प्रद्युत बोरदोलोई :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के चाय बागानों में हुए कोयले की कमी के प्रभावों का आकलन किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र में चाय उत्पादक एककों के राज्य-वार आंकड़े क्या हैं तथा इनमें से कितने एकक प्रमुख रूप से कोयले पर निर्भर हैं;

(ग) क्या सरकार का पूर्वोत्तर क्षेत्र में चाय उत्पादक एककों की कोयले पर निर्भरता कम करने का कोई उपाय किया है या करने का विचार है तथा नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के स्रोतों से कोयले की आपूर्ति में कोई कमी नहीं है। सीआईएल भारत में कोयले का अकेला सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। सीआईएल ने वर्तमान राजकोषीय वर्ष (9 मार्च, 2022 तक) के दौरान पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान आपूर्ति किए गए 531.4 एमटी की तुलना में लगभग 16.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 618.70 मिलियन टन (एमटी) कोयले की आपूर्ति की है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में चाय कारखानों की राज्य-वार संख्या निम्नानुसार है:

राज्य	कारखानों की कुल संख्या
असम	771
अरुणाचल प्रदेश	22
मेघालय	6
नागालैंड	3
सिक्किम	1
त्रिपुरा	21
कुल	824

उपरोक्त चाय कारखानों में से 402 चाय कारखाने मुख्य रूप से कोयले और अन्य ईंधन पर निर्भर हैं। असम के तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, चरीदेव, शिवसागर, जोरहाट और गोलाघाट जिलों में स्थित 422 चाय कारखानों के लिए प्राकृतिक गैस उपलब्ध है । चाय उद्योग टीडी ऑयल और अन्य स्रोतों के अलावा एक स्वच्छ और हरित ईंधन मेथनॉल का उपयोग करने का विकल्प खोज रहा है। यह रिपोर्ट किया गया है कि चाय के लिए मेथनॉल के उपयोग पर टी रिसर्च एसोसिएशन (टीआरए), जोरहाट में पहले ही एक परीक्षण किया जा चुका है और टीआरए ने चाय के लिए इसकी उपयुक्तता को प्रमाणित किया है।

******

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.2314

दिनांक 16 मार्च, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

एसईजेड एक्ट में संशोधन

2314. श्री भोला सिंह :
श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या) :
डॉ. जयंत कुमार राय :
श्री विनोद कुमार सोनकर :
श्री राजा अमरेश्वर नाईक :
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :
डॉ. सुकान्त मजूमदार :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि राज्य उद्यम विकास और सेवा क्षेत्रों में भागीदार बन सकें ;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या इसमें सभी बड़े मौजूदा और नए औद्योगिक इंक्लेव में उपलब्ध अवसंरचना के अधिकतम उपयोग करने तथा निर्यात में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए कवर किया जाएगा;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या एसईजेड के कस्टम प्रशासन में सुधार करने के लिए सरकार ने प्रस्ताव किया है और अब से इसे पूर्णतः आईटी द्वारा चलाया जाएगा और यह कस्टम नेशनल पोर्टल पर कार्य करेगा;
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(छ) देश में एसईजेड के संबंध में सरकार द्वारा अन्य कौन से सुधार किए जा रहे हैं?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (च) : मौजूदा एसईजेड कानून को बदलने के लिए एक नया कानून लाने में केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों के साथ-साथ संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श शामिल होगा। नए विधानों के विवरण में आयोजित परामर्शों को ध्यान में रखा जाएगा।

(छ): एसईजेड सुधार एक सतत प्रक्रिया है और एसईजेड की नीति और प्रचालन ढांचे पर हितधारकों से प्राप्त इनपुट/सुझावों के आधार पर, सरकार समय-समय पर एसईजेड अधिनियम/नियमों के सुचारू और प्रभावी कार्यान्वयन की सुविधा के लिए आवश्यक उपाय करती है। एसईजेड डेवलपर्स/इकाइयों के लिए व्यवसाय करने में आसानी बढ़ाने के लिए कई उपाय शुरू किए गए हैं जैसा कि अनुबंध में वर्णित है।

****

16 मार्च, 2022 के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2314 का अनुबंध एसईजेड में व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ाने के उपाय:

1. निवल विदेशी मुद्रा अर्जन मानदंड के लिए गणना की पद्धति की समीक्षा की गई है और अधिसूचना दिनांक 07 मार्च, 2019 के माध्यम से संशोधित की गई है।
2. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में एक इकाई के लिए उसकी विशेष प्रकृति को देखते हुए शुद्ध विदेशी मुद्रा की गणना की सुविधा के लिए नियम 53क शामिल किया गया है।
3. एसईजेड के लिए सेवाओं की एक समान सूची, इनपुट सेवाओं की एक विस्तृत सूची जिसका उपयोग एसईजेड इकाइयों द्वारा अपने दिन-प्रतिदिन के कार्यों के लिए किया जा सकता है, जिससे इकाइयों के लिए ऐसे प्रत्येक उदाहरण के लिए विकास आयुक्तों की अनुमति लेने की आवश्यकता से बचा जा सकता है।
4. एसईजेड इकाइयों को अनुमत कैफेटेरिया, व्यायामशाला, शिशुगृह और अन्य समान सुविधाओं/सुख-सुविधाओं की स्थापना।

5. विकास आयुक्त को उनके अधिकार क्षेत्र में सेज इकाई को एक सेज से दूसरे में स्थानांतरित करने के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन।

6. आईटी/आईटीईएस एसईजेड इकाइयों के कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देने के लिए मार्च-2019 में एसईजेड नियमों में संशोधन।

7.एफटीडब्ल्यूजेड में छोड़े गए माल/अनिकासित कार्गो की निकासी के लिए दिशानिर्देश।

8.एन्क्लेव के लिए "डी-नोटिफिकेशन" प्रक्रिया को औपचारिक रूप देना और केवल एसईजेड के उद्देश्य के लिए इसके वर्तमान अनिवार्य उपयोग को अलग करना।

9. निर्माण क्षेत्र की सेवा को सक्षम बनाने के लिए सहायता विनिर्माण सक्षम सेवा कंपनियों जैसे आर एंड डी सेवाओं, इंजीनियरिंग डिजाइन सेवाओं, लॉजिस्टिक सेवा को अनुमति देना।

10. विकासकर्ताओं को राज्य की नीतियों के अनुरूप जोनों में हितधारकों के साथ दीर्घकालिक पट्टा समझौते में प्रवेश करने की छूट दी गई है।

11. एक सह-डेवलपर से दूसरे सह-डेवलपर को अनुमोदन के हस्तांतरण के लिए प्रावधानों को सक्षम करना।

12.एसईजेड में इकाइयां स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ट्रस्टों और किसी अन्य इकाई को सक्षम करने के लिए एसईजेड अधिनियम, 2005 [धारा 2 (V)] में संशोधन।

13. दिनांक 23.10.2020 के संशोधन के माध्यम से, एसईजेड नियमों के नियम 24(3) में एक प्रावधान को मुक्त व्यापार और भंडारण क्षेत्र में विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को घरेलू टैरिफ क्षेत्र से आपूर्ति पर ड्राबैक और किसी भी अन्य समान लाभ की स्वीकार्यता के बारे में जोड़ा गया है, जहां भुगतान घरेलू टैरिफ क्षेत्र में विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा विदेशी मुद्रा में किए जाते हैं।

14. एसईजेड नियम, 2006 में एक नया नियम 21ए डाला गया है जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा) अधिनियम, 1947 (1947 का 46) के तहत अधिसूचित बहुपक्षीय या एकतरफा या अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों को इकाई स्थापित करने में सक्षम बनाता है।

15. इस विभाग के दिनांक 07.06.2021 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा विद्युत दिशा-निर्देश, 2016 में संशोधन किया गया है, जिसमें एक इकाई को अपने परिसर के भीतर गैर-पारंपरिक बिजली संयंत्रों को कैप्टिव खपत के अनन्य उद्देश्य के लिए इस शर्त के अधीन स्थापित करने की अनुमति दी गई है, कि गैर-कर /शुल्क लाभ एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 26 के तहत निर्धारित किया गया।

16. एसईजेड/ईओयू में पुराने/प्रयुक्त कपड़ों और प्लास्टिक रीसाइक्लिंग इकाइयों के लिए 27 मई, 2021 को नीति से संबंधित निर्देश संख्या 106 जारी किए गए थे।

17. निर्देश संख्या 107 दिनांक 26 अगस्त, 2021 को सभी विकास आयुक्तों को फार्मा उद्योग के लिए नियामक अनुपालन को कम करने के लिए जारी किया गया है। इसके अलावा, एसईजेड ऑनलाइन सिस्टम के साथ एफएसएसएआई के एकीकरण को लाइव कर दिया गया है।

18. एसईजेड नियम, 2006 के नियम 74 के तहत मौजूदा इकाई द्वारा स्थान के हस्तांतरण की वैकल्पिक विधि से संबंधित निर्देश संख्या 108 दिनांक 11 अक्टूबर, 2021 को जारी किया गया है।

19. निर्देश संख्या 109 दिनांक 18 अक्टूबर, 2021 को जारी किया गया है जो यह प्रदान करता है कि नाम परिवर्तन, शेयरधारिता पैटर्न में परिर्तन, व्यापार हस्तांतरण व्यवस्था, अदालत द्वारा अनुमोदित विलय और डीमर्जर, संरचना में परिवर्तन, निदेशकों के परिवर्तन आदि सहित पुनर्गठन संबंधित इकाई अनुमोदन समिति (यूएसी) द्वारा किया जा सकता है, इस शर्त के अधीन कि विकासकर्ता/सह-विकासकर्ता/इकाई विशेष आर्थिक क्षेत्र से बाहर निकलने का चयन नहीं करेंगे या बाहर नहीं निकलेंगे और एक चालू संस्था के रूप में कार्य करना जारी रखेंगे।

****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.2318

दिनांक 16 मार्च, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

विशेष आर्थिक क्षेत्र

2318. **श्री तेजस्वी सूर्या :**
श्री प्रताप सिम्हा :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार कुल कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) हैं;

(ख) देश में विशेष आर्थिक क्षेत्रों में राज्य-वार कितनी भूमि अप्रयुक्त है ;

(ग) सरकार द्वारा कोविड-19 के बाद की स्थितियों में हुई डिजिटल प्रगति को देखते हुए विशेष आर्थिक क्षेत्र में व्यापार स्थापित करने के लिए कार्पोरेशनों को और अधिक प्रोत्साहन देने हेतु कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार देश में विशेष आर्थिक क्षेत्रों को विनियमित करने के लिए नया विधान लाने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो इसके लिए विस्तृत समय-सीमा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) वर्तमान में, देश में औपचारिक रूप से स्वीकृत 424 विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) हैं। आज की तारीख में, 375 सेज अधिसूचित किए गए हैं और 268 एसईजेड प्रचालन में हैं। देश में एसईजेड का राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों-वार विवरण **अनुबंध-।** पर है।

(ख): 375 अधिसूचित एसईजेड (7 केंद्र सरकार एसईजेड और 12 राज्य/निजी क्षेत्र एसईजेड सहित) के संबंध में, उपयोग की गई भूमि क्षेत्र का राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों वार विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है ।

(ग): एसईजेड डेवलपर्स और इकाइयां एसईजेड कानूनों के तहत प्रदान किए गए राजकोषीय लाभों के लिए पात्र हैं। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न व्यवधान के कारण, एसईजेड डेवलपर्स/इकाइयों के लिए व्यवसाय करने में आसानी बढ़ाने के लिए कुछ उपाय शुरू किए गए थे, जिसमें अनुपालन को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन डिजिटल तकनीक को अधिक से अधिक अपनाना शामिल है, जैसा कि **अनुबंध-III** में वर्णित है।

(घ): मौजूदा एसईजेड कानून को बदलने के लिए एक नया कानून लाने में केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों के साथ-साथ संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श शामिल होगा।

****

16 मार्च, 2022 के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2318 का अनुबंध –I

देश में एसईजेड का राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों-वार विवरण (10.03.2022 तक)					
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एसईजेड अधिनियम, 2005 के अधिनियमन से पहले स्थापित केंद्र सरकार के एसईजेड	एसईजेड अधिनियम, 2005 के अधिनियमन से पहले स्थापित राज्य सरकार/निजी क्षेत्र के एसईजेड	एसईजेड अधिनियम, 2005 के तहत दी गई औपचारिक स्वीकृति	कुल अधिसूचित एसईजेड (एसईजेड अधिनियम से पहले + एसईजेड अधिनियम, 2005 के तहत)	कुल प्रचालन एसईजेड (एसईजेड अधिनियम से पहले + एसईजेड अधिनियम, 2005 के तहत)
आंध्र प्रदेश	1	0	33	28	24
चंडीगढ़	0	0	2	2	2
छत्तीसगढ	0	0	2	1	1
दिल्ली	0	0	2	0	0
गोवा	0	0	7	3	0
गुजरात	1	2	26	25	21
हरियाणा	0	0	24	21	7
झारखंड	0	0	2	2	0
कर्नाटक	0	0	61	50	34
केरल	1	0	28	25	20
मध्य प्रदेश	0	1	12	8	5
महाराष्ट्र	1	0	51	46	37
मणिपुर	0	0	1	1	0
नागालैंड	0	0	2	2	0
उड़ीसा	0	0	7	5	5
पुडुचेरी	0	0	1	0	0
पंजाब	0	0	5	3	3
राजस्थान	0	2	5	6	3
सिक्किम	0	0	1	0	0
तमिलनाडु	1	4	56	58	50
तेलंगाना	0	0	64	57	35
त्रिपुरा	0	0	1	1	0
उत्तर प्रदेश	1	1	24	23	14
पश्चिम बंगाल	1	2	7	8	7
कुल योग	**7**	**12**	**424**	**375**	**268**

16 मार्च, 2022के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2318 का अनुबंध-II

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अधिसूचित भूमि क्षेत्र का विवरण (31.12.2021 तक)			
			भूमि क्षेत्र (हेक्टेयर में)
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अधिसूचित एसईजेड की संख्या	अधिसूचित क्षेत्र	कुल उपयोग क्षेत्र
आंध्र प्रदेश	28	7989.31	3631.16
चंडीगढ़	2	39.18	14.16
छत्तीसगढ	1	101.28	22.04
गोवा	3	249.48	0
गुजरात	25	14050.96	7450.22
हरियाणा	21	327.76	87.56
झारखंड	2	259.09	222.67
कर्नाटक	50	1950.2	1246.33
केरल	25	922.17	622.45
मध्य प्रदेश	8	698.43	397.45
महाराष्ट्र	46	4944.37	2212.28
मणिपुर	1	10.85	0
नागालैंड	2	340.70	0
उड़ीसा	5	1001.33	417.14
पंजाब	3	57.71	13.4
राजस्थान	6	807.08	434.68
तमिलनाडु	58	4742.49	2181.91
तेलंगाना	57	1966.22	673.1
त्रिपुरा	1	16.35	0
उत्तर प्रदेश	23	715.01	274.41
पश्चिम बंगाल	8	237.06	189.54
कुल योग	**375**	**41427.03**	**20090.50**

16 मार्च, 2022 के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2318 का अनुबंध-III

कोविड-19 महामारी के दौरान एसईजेड डेवलपर्स/इकाइयों के लिए व्यवसाय करना आसान बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय शुरू किए गए: -

i विभिन्न अनुपालनों को दाखिल करने की अंतिम तिथि 31.03.2020 से 30.06.2020 तक बढ़ा दी गई थी जैसे तिमाही प्रगति रिपोर्ट (क्यूपीआर), सॉफ्टेक्स फॉर्म और वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट (एपीआर)।

ii. विकास आयुक्तों (डीसी) को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से, समयबद्ध तरीके से कोविड महामारी के दौरान समाप्त होने वाले अनुमोदन पत्र (एलओए) और अन्य अनुपालनों के विस्तार की सुविधा के लिए निर्देशित किया गया था। इसके अलावा, डीसी को उन मामलों में निर्देशित किया गया था जहां इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से विस्तार देना संभव नहीं था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि विकासकर्ता / सह-डेवलपर / इकाइयों को व्यवधान की इस अवधि के दौरान वैधता की इस तरह की समाप्ति के कारण किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े, और 30.06.2020 तक बिना किसी पूर्वाग्रह के समाप्ति तिथि का तदर्थ अंतरिम विस्तार / आस्थगन प्रदान किया गया।

iii. आईटी/आईटीईएस इकाइयों के साथ, एसईजेड में गैर आईटी /आईटीईएस इकाइयों को भी घर से काम करने के लिए एसईजेड के बाहर डेस्कटॉप/लैपटॉप ले जाने की अनुमति दी गई है। इसने विशेष रूप से आईटी / आईटीईएस क्षेत्र में निर्यात को लॉकडाउन के बावजूद सकारात्मक वृद्धि दर्ज करने में सक्षम बनाया है।

iv. अनुमोदन समिति द्वारा कार्योत्तर अनुसमर्थन के अधीन मास्क, सैनिटाइज़र, गाउन और अन्य सुरक्षात्मक/निवारक उत्पादों/उपकरणों जैसी आवश्यक वस्तुओं के निर्माण के मामले में ब्रॉड-बैंडिंग के लिए विकास आयुक्तों को शक्ति प्रत्यायोजित की गई है।

v. निर्देश जारी किए गए थे कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए केंद्र सरकार सेज में इकाइयों के लिए लीज किराए में कोई वृद्धि नहीं की जानी चाहिए। केंद्र सरकार के एसईजेड की सभी इकाइयों के लिए पहली तिमाही के लीज किराया का भुगतान 31 जुलाई 2020 तक के लिए टाल दिया गया था। इसके अलावा, विकास आयुक्तों से यह भी अनुरोध किया गया था कि इकाइयों को 1 अक्टूबर, 2020 से शुरू होने वाली छह समान किश्तों में लीज किराया की पहली दो त्रैमासिक किस्तों को चुकाने की अनुमति दी जाए।

vi. विकास आयुक्तों से भी अनुरोध किया गया था कि वे राज्य सरकार/निजी एसईजेड के विकासकर्ताओं को अपने क्षेत्रों में इसी तरह के राहत उपायों पर विचार करने की सलाह दें।

vii. सभी विकास आयुक्तों को इलेक्ट्रॉनिक कार्य संस्कृति को अपनाने और दवाओं, आवश्यक वस्तुओं आदि के निर्माण में शामिल सहित इकाइयों को आवश्यक समर्थन देने और कोविड दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए सुग्राहीकृत बनाया गया है।

****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.2343

दिनांक 16 मार्च, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

ताजा फलों का निर्यात

2343. श्री शंकर लालवानी :
डॉ. भारतीबेन डी.श्याल :
श्री रोड़मल नागर :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से ताजे फलों के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है ;
(ख) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान अमरुद और अंगूर के निर्यात का ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा दही और पनीर के निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) जी हाँ। भारत से ताजे फलों का निर्यात 2014-15 में 516.26 मिलियन अमरिकी डॉलर से बढ़कर 2020-21 में 768.54 मिलियन अमरिकी डॉलर हो गया है।
(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान भारत के अमरूद और अंगूर के निर्यात का विवरण निम्नानुसार है:

मात्रा एमटी में; मूल्य मिलियन अमरिकी डॉलर में

वर्ष	अमरूद		अंगूर	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
2016-17	1,408.16	0.91	1,98,471.30	267.04
2017-18	1,229.77	0.86	2,05,039.41	303.71
2018-19	978.69	0.67	2,53,619.00	335.11
2019-20	1,697.14	0.73	1,96,376.51	303.46
2020-21	2,886.37	1.27	2,47,187.05	314.11

स्रोत : डीजीसीआई एंड एस

(ग) दही और पनीर जैसे डेयरी उत्पादों सहित कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना एक सतत प्रक्रिया है। डेयरी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के तत्वावधान में एक निर्यात संवर्धन फोरम (ईपीएफ) का गठन किया गया है। ईपीएफ में व्यापार/उद्योग, संबंधित मंत्रालयों/विभागों, नियामक एजेंसियों, अनुसंधान संस्थानों, राज्य सरकारों आदि का प्रतिनिधित्व होता है। निर्यात को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों जैसे एसपीएस/टीबीटी मुद्दों, बाजार पहुंच मुद्दों निर्यात प्रोत्साहन के लिए योजना और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों आदि पर चर्चा करने के लिए ईपीएफ की बैठकें नियमित रुप से आयोजित की जाती हैं। ईपीएफ द्वारा की गई सिफारिशों को उपयुक्त कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को भेजा जाता है।

उत्तर प्रदेश और गुजरात में क्रमशः मथुरा और बनासकांठा जिलों को डेयरी उत्पादों के निर्यात के लिए क्लस्टर के रूप में पहचाना गया है। एपीडा ने इन क्लस्टरों में किसानों/किसान-उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के लिए जागरुकता सह क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। एपीडा अपनी निर्यात प्रोत्साहन स्कीम के विभिन्न घटकों के तहत डेयरी उत्पादों के निर्यातकों को सहायता भी प्रदान करता है।

****

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2365

दिनांक 16 मार्च, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना योजना

2365. श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी:
डॉ. संजीव कुमार शिंगरी:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना योजना (टीआईईएस) के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में आंध्र प्रदेश में कोई नई परियोजना आरंभ नहीं की गई है और धनराशि जारी नहीं की गई है;
(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या वर्ष 2017-2022 तक परियोजनाओं हेतु टीआईईएस के लिए स्वीकृत 74.15 करोड़ रूपए की हिस्सेदारी में से केवल 57.15 करोड़ रूपये की धनराशि आंध्र प्रदेश के लिए जारी की गई है; और
(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और लंबित धनराशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख) जी हॉ। वाणिज्य विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस) के तहत, केंद्र/राज्य सरकार के स्वामित्व वाली एजेंसियों को निर्यात अवसंरचना की स्थापना अथवा उन्नयन के लिए सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2021-22 के दौरान आंध्र प्रदेश से टीआईईएस के तहत कोई नया परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त, टीआईईएस दिशानिर्देशों जैसे पूर्व में जारी टीआईईएस अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना, परियोजना प्रगति रिपोर्ट

और कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा निधियों के अनुरूप अंशदान का प्रमाण, शर्तों को पूरा न किया जाने के कारण आंध्र प्रदेश में टीआईईएस के तहत चल रही परियोजनाओं हेतु टीआईईएस अनुदान की अगली किस्त जारी नहीं की गई ।

(ग) और (घ) जी हां । स्कीम के आरंभ से अर्थात वित्त वर्ष 2017-18, से आंध्र प्रदेश में परियोजनाओं के लिए अनुमोदित टीआईईएस के 74.15 करोड़ रूपये के हिस्से में से, अब तक 57.15 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। कार्यान्वयन एजेंसी (यों) द्वारा पूर्व में जारी की गई धनराशि के लिए उपयोगिता प्रमाण–पत्र, परियोजना निगरानी समिति (पीएमसी) की बैठक रिपोर्ट और अनुमोदित लागत हिस्सेदारी के अनुसार समरूप आधार पर स्वयं के या अन्य स्रोतों से निवेश की गई निधियों के अनुरूप अंशदान का प्रमाण प्रस्तुत करने पर शेष राशि जारी की जाएगी।

****

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2406

दिनांक 16 मार्च, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

तंबाकू उत्पादों की लाइसेंसिंग

2406. श्री हेमन्त पाटिल:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तंबाकू के उपभोग को नियंत्रित करने तथा धुंआ रहित और अन्य तंबाकू उत्पादों को सरकारी नियंत्रण में लाने हेतु कोई लाइसेंस नीति जारी कर सकती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मीडिया रिपोर्टों के अनुसार भारत के विश्व स्वास्थ्य संगठन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (एफसीटीसी) को हस्ताक्षरकर्ता होने के बावजूद भी देश भर में तंबाकू उत्पादों का अवैध व्यापार हो रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा तंबाकू उत्पादों के अवैध व्यापार को समाप्त करने हेतु नयाचार का अनुसमर्थन, स्वीकृति और अनुमोदन को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख) वर्तमान में 'तंबाकू अथवा तंबाकू के विकल्पों के सिगार, चुरूट, सिगारिलो और सिगरेट', (एचएस कोड 2402) अनिवार्य लाइसेंस के अधीन हैं। ईएनडीएस उपकरणों सहित अन्य तंबाकू उत्पाद लाइसेंस के अधीन नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अंतर्गत, केवल 'सिगरेट' को पहली अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 38(1) के अंतर्गत कवर किया गया है। इसलिए, शेष तंबाकू उत्पाद केंद्र सरकार की सक्षमता से बाहर हैं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से नियंत्रित होते हैं।"

(ग) और (घ) भारत डब्ल्यूएचओ फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल (एफसीटीसी) का हस्ताक्षरकर्ता है और तंबाकू नियंत्रण के लिए मांग और आपूर्ति में कमी के विभिन्न उपायों को कार्यान्वित कर रहा है। भारत सरकार ने डब्ल्यूएचओ एफसीटीसी के अनुच्छेद 15 के तहत तंबाकू उत्पादों के अवैध व्यापार को समाप्त करने हेतु प्रोटोकॉल को स्वीकार किया है। संधि दस्तावेज को 05.06.2018 को संयुक्त राष्ट्र संधि अनुभाग, न्यूयॉर्क में जमा किया गया था।

******

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2432

दिनांक 16 मार्च, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

यूएई के साथ समझौता

2432. श्री गिरीश भालचन्द्र बापट:
श्री राहुल रमेश शेवाले:
श्री चंद्र शेखर साहू:
डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और संयुक्त अरब अमीरात हाल ही में व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर सहमत हुए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोनों देशों में एमएसएमई, स्टार्टअप्स, किसानों, व्यापारियों और व्यवसाय के सभी वर्गों के लिए इसके किस हद तक लाभप्रद होने की संभावना है;
(ग) इस समझौते के तहत यूएई ने भारत के लिए कितने प्रस्तावों पर सहमति जताई है;
(घ) क्या सीईपीए के कार्यान्वयन से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय माल व्यापार को बढ़ावा मिलेगा;
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे व्यापार के लिए निर्धारित विभिन्न क्षेत्रों के लक्ष्य क्या हैं; और
(च) इस समझौते से देश में रोजगार के अवसरों में वृद्धि की संभावना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ख): हाँ। भारत और यूएई ने 18 फरवरी, 2022 को भारत-यूएई वर्चुअल शिखर-सम्मेलन के साथ-साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (सीईपीए) पर हस्ताक्षर किए। भारत-यूएई सीईपीए एक व्यापक और संतुलित साझेदारी करार है जो वस्तुओं और सेवाओं दोनों में

भारत के लिए वर्धित बाजार पहुंच प्रदान करेगा। भारत-यूएई सीईपीए नए बाजार खोलकर, निर्यात को बढ़ाकर और हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देकर एमएसएमई, स्टार्ट-अप्स, किसानों, व्यापारियों और व्यवसायों के सभी वर्गों के लिए अत्यधिक लाभकारी होगा। इसके अलावा, भारत-यूएई सीईपीए से भारत से न केवल यूएई बल्कि मध्यपूर्व और अफ्रीका को भी वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि होगी ।

ग): यूएई ने मूल्य के संदर्भ में यूएई को भारत के निर्यात के लगभग 90% हिस्से के उत्पादों के लिए करार के लागू होने के पहले दिन से ही शून्य शुल्क पर तत्काल बाजार पहुंच प्रस्तुत की है। समग्र रूप से, भारत को यूएई द्वारा इसकी 97% से अधिक टैरिफ लाइनों पर प्रदान की गई अधिमान्य बाजार पहुंच से लाभ होगा जो मूल्य के संदर्भ में यूएई को भारतीय निर्यात का लगभग 99% है। जहां तक सेवाओं में व्यापार का संबंध है, यूएई ने भारत को 11 व्यापक सेवा क्षेत्रों से लगभग 111 उप-क्षेत्रों में बाजार पहुंच प्रस्तुत की है।

(घ) से (च): हां। भारत-यूएई सीईपीए के कार्यान्वयन के पांच वर्ष के भीतर वस्तुओं में द्विपक्षीय व्यापार वर्तमान 60 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढकर प्रतिवर्ष 100 बिलियन अमरीकी डॉलर होना प्रक्षिप्त है। इसके अतिरिक्त भारत-यूएई सीईपीए से विशेष रूप से अनेक श्रम-केंद्रित क्षेत्रों जैसे रत्न और आभूषण, वस्त्र, चमड़ा, फुटवीयर, खेल के सामान, प्लास्टिक, फर्नीचर, कृषि और लकड़ी के उत्पादों, इंजीनियरिंग उत्पाद, चिकित्सा उपकरण और ऑटोमोबाइल में रोजगार के नए अवसर सृजित होने की प्रत्याशा है।

******

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2437

दिनांक 16 मार्च, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

कृषि उत्पादों/जीआई उत्पादों का निर्यात

2437 : श्री एस.आर. पार्थिबन:

क्या **वाणिज्य एवं उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश भर के हवाई अड्डों के माध्यम से भौगोलिक संकेतक (जीआई) उत्पादों सहित कृषि उत्पादों को विदेशों में निर्यात करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने तमिलनाडु में जीआई उत्पादों सहित ऐसे कृषि उत्पादों की पहचान की है जिन्हें उस राज्य में स्थित किसी एक हवाई अड्डे से निर्यात किया जाना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख) : जीआई उत्पादों सहित कृषि उत्पादों को दुनिया भर में निर्यात गंतव्यों के लिए हवाई अड्डों सहित देश से विभिन्न निकास स्थानों के माध्यम से निर्यात किया जाता है। सरकार ने जी आई उत्पादों सहित कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य/जिला स्तर पर कई कदम उठाए हैं। राज्य विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं और कई राज्यों में राज्य स्तरीय निगरानी समितियां (एसएलएमसी), कृषि निर्यात के लिए नोडल एजेंसियां और क्लस्टर स्तरीय समितियां बनाई गई हैं । निर्यात को बढ़ावा देने के लिए देश और उत्पाद-विशिष्ट कार्य योजनाएं भी तैयार की गई हैं। यह भी निर्णय लिया गया है कि वाणिज्य विभाग

की निर्यात हब के रूप में जिला पहल का उपयोग कृषि निर्यात नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाएगा। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) देश के विभिन्न राज्यों से जीआई उत्पाद सहित कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अच्छी कृषि खेती पद्धति, उपज के पूर्व और फसलोपरांत संभलाई प्रबंधन आदि के बारे में संवेदीकरण के लिए क्रेता विक्रेता बैठकें और आउटरीच कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।

(ग) से (ड.) : जी, हां। सरकार ने तमिलनाडु राज्य सरकार के परामर्श से तमिलनाडु से निर्यात के लिए गैर–बासमती चावल, मक्का, मूंगफली, रागी, बाजरा, काला चना, नारियल, आम, केला, भिंडी, प्याज, चमेली, कट- फ्लावर, मसालों आदि जैसे विभिन्न कृषि उत्पादों की पहचान की है। राज्य के अनूठे उत्पादों, जिनमें जीआई टैगिंग और निर्यात की क्षमता है, की भी पहचान की गई है। ये उत्पाद शोलावनधन सुपारी (मदुरै), चेट्टीकुलम छोटा प्याज (पेराम्बलूर), पनरूति कटहल (कुड्डालोर), सत्तूर सांबा मिर्च (विरूदुनगर), इलावंबडी मुल्लू काथिरिक्कई (वेल्लोर), चिथिरई कर चावल (रामनंतपुरम), कुंभकोणम सुपारी, पनरूति काजू, अत्तूरकिचली सांबा चावल (सलेम) और कन्नडी कथरी (सलेम) हैं।

तमिलनाडु से जीआई उत्पादों सहित कृषि उत्पादों का निर्यात राज्य के चेन्नई, त्रिची, कोयंबटूर और मदुरै हवाई अड्डों सहित देश के विभिन्न बंदरगाहों और हवाई अड्डों के माध्यम से किया जाता है।

****

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2441

दिनांक 16 मार्च, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

काजू उद्योग में संकट

2441. श्री कोडिकुन्नील सुरेश:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोविड महामारी के दौरान देश में काजू निर्यातकों, जिनमें बड़ी संख्या में निर्यातक केरल से हैं, के वित्तीय संकट पर ध्यान दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने काजू के निर्यात को बढ़ावा देने और मौजूदा निर्यातकों को प्रोत्साहन देने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान एमएसएमई के लिए समय पर जीएसटी रिटर्न दाखिल करने, जीएसटी भुगतानों की समय पर वापसी, एमएसएमई क्षेत्र के लिए कतिपय उपायों सहित क्रेडिट समर्थन जैसे वैधानिक अनुपालन में छूट के संबंध में कई कदम उठाए हैं। इसके अलावा, आरबीआई ने नियामक पैकेज और समाधान ढांचा प्रदान करके एमएसएमई उद्योग के लिए उपायों की घोषणा की है। भारत सरकार ने काजू उद्योग सहित

एमएसएमई की अतिरिक्त सावधि ऋण/अतिरिक्त कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) नामक एक विशेष स्कीम भी शुरू की है। ये सभी राहतें काजू उद्योग के लिए भी उपलब्ध थीं।

(ग) और (घ) काजू गिरी और कोको विकास निदेशालय ने घरेलू काजू उद्योगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए देश में काजू के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए केरल सहित 19 राज्यों में काजू विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए एमआईडीएच और आरकेवीवाई के तहत विभिन्न उपाय शुरू किए हैं ।

अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 की अवधि के लिए काजू का निर्यात 379.30 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो वित्तीय वर्ष 2020-21 में सापेक्ष अवधि के लिए काजू के निर्यात की तुलना में मूल्य के संदर्भ में 10.68% अधिक है। काजू सहित कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने कृषि उत्पादों के निर्यात के माल ढुलाई के नुकसान को कम करने के लिए, माल ढुलाई के अंतरराष्ट्रीय घटक के लिए सहायता प्रदान करने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र स्कीम - 'निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के लिए परिवहन और विपणन सहायता' शुरू की है। इसके अलावा, निर्यात के अवसरों का आकलन और दोहन करने के लिए विदेशों में भारतीय मिशनों के साथ वीडियोकांफ्रेंसिस के माध्यम से नियमित बातचीत भी की गई है। भारतीय मिशनों के माध्यम से देश विशिष्ट बीएसएम का भी आयोजन किया गया है। सरकार द्वारा उठाए गए इन कदमों के अलावा, वाणिज्य विभाग कृषि उत्पादों के निर्यात सहित निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई अन्य स्कीम अर्थात निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस), बाजार पहुंच पहल (एमएआई) स्कीम के माध्यम से भी सहायता प्रदान करता है।

****

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2442

दिनांक 16 मार्च, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता

2442. श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने जम्मू और कश्मीर में खाड़ी देश से निवेश के लिए द्विपक्षीय व्यापक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो क्षेत्रीय व्यापार और संपर्क के लिए नए मार्ग खोलेगा और भारत के सामूहिक हितों को आगे बढ़ाएगा;

(ख) क्या इस समझौते से वित्तीय संबंधों में एक नए युग की शुरुआत होने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज की तिथि के अनुसार, इस संबंध में क्या प्रगति हुई है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क)से(ग) : 7 अक्टूबर, 2021, को दुबई सरकार ने जम्मू और कश्मीर सरकार के साथ रियल एस्टेट विकास, औद्योगिक पार्कों, आईटी टावरों, बहुउद्देशीय टावरों, लॉजिस्टिक्स, मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल और अधिक के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए । इसके बाद, विभिन्न यूएई आधारित कंपनियों ने खाद्य प्रसंस्करण, लॉजिस्टिक्स, खुदरा, रियल एस्टेट, बंदरगाह, और आतिथ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए जम्मू और कश्मीर के प्रशासन के साथ करार/समझौता ज्ञापन में प्रविष्ट किया है।

इसके अलावा, भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने 18 फरवरी, 2022 को भारत-यूएई वर्चुअल के साथ-साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (सीईपीए) पर हस्ताक्षर किए। भारत-यूएई सीईपीए एक व्यापक करार है, जो अन्य बातों के साथ-साथ, वस्तुओं में व्यापार, उत्पत्ति के नियम, सेवाओं में व्यापार, व्यापार की तकनीकी बाधाएं (टीबीटी), स्वच्छता और पादप स्वच्छता (एसपीएस) उपाय, विवाद निपटान, प्राकृतिक व्यक्तियों की आवाजाही, दूरसंचार, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं, फार्मास्युटिकल उत्पाद, सरकारी खरीद, बौद्धिक संपदा, निवेश और व्यापार, डिजिटल व्यापार और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को कवर करेगा। भारत-यूएई सीईपीए दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को प्रोत्साहित करने और सुधारने के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करता है। भारत-यूएई सीईपीए अनेक श्रम प्रधान क्षेत्रों जैसे रत्न और आभूषण, कपड़ा, चमड़ा, फुटवीयर, फर्नीचर, कृषि और खाद्य उत्पाद, प्लास्टिक, इंजीनियरिंग सामान, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरण, खेल के सामान आदि में रोजगार के नए अवसरों का सृजन,जीवन स्तर बढ़ाएगा, और दोनों देशों के लोगों के सामान्य कल्याण में सुधार करेगा ।

****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2481

<u>दिनांक 16 मार्च, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए)

2481. श्री रतन लाल कटारिया:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 15 जनवरी, 2022 को ब्रिटेन के साथ किसी मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) उक्त समझौते के परिणामस्वरूप दोनों देशों में किए जाने वाले संभावित निवेश का ब्यौरा क्या है और कितनी नौकरियां सृजित होने की संभावना है;
(घ) क्या सरकार द्वारा वर्ष 2022 के अंत तक कुछ अन्य देशों के साथ किसी एफटीए पर हस्ताक्षर करने की संभावना है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री</u>
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग):जी नहीं। भारत-यूके मुक्त व्यापार करार (एफटीए) वार्ता 13 जनवरी 2022 को शुरू की गई है। दोनों पक्षों का उद्देश्य दोनों पक्षों की महत्वाकांक्षाओं और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए व्यापार और निवेश के द्विपक्षीय प्रवाह में वृद्धि के आशय के साथ एक संतुलित और पारस्परिक लाभप्रद व्यापार करार के लिए वार्ता से निष्कर्ष पर पहुंचना है।

(घ) और (ड.): सरकार कुछ अन्य देशों के साथ एफटीए पर वार्ता कर रही है। तथापि, एफटीए वार्ता के पूरा होने की समय सीमा का पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता चूंकि करार पर केवल तभी पहुंचा जाता है जब वार्ता करने वाले पक्ष परिणाम से संतुष्ट होते हैं।

****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.2512

दिनांक 16 मार्च, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

निर्यात संवर्धन

2512. श्रीमती प्रतिमा मण्डल :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात को बढ़ावा देने में राज्यों की सहायता करने के लिए सरकार की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में विभिन्न राज्यों को निर्यात संवर्धन हेतु आवंटित कुल धनराशि का क्षेत्र और राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लॉजिस्टिक की बाधाओं में सुधार हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

उत्तर

<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री</u>

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख) : वाणिज्य विभाग, भारत सरकार निर्यात में वृद्धि के लिए उपयुक्त अवसंरचना के सृजन में केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों की सहायता करने के उद्देश्य से वित्त वर्ष 2017-18 से 'निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस)' नामक एक स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है। इस स्कीम के तहत, निर्यात अवसंरचना की स्थापना या उन्नयन के लिए केंद्र/राज्य सरकार के स्वामित्व वाली एजेंसियों को सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राज्यों द्वारा अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से, बार्डर हाटों , भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों, गुणवत्ता परीक्षण और प्रमाणन प्रयोगशालाओं, शीत श्रृंखलाओं, व्यापार संवर्धन केंद्रों , निर्यात भंडारण और पैकेजिंग, एसईजेड और बंदरगाहों/ हवाई अड्डे के कार्गो टर्मिनस जैसे महत्वपूर्ण निर्यात लिंकेज के साथ अवसंरचना परियोजनाओं के लिए इस स्कीम का लाभ उठाया जा सकता है। इस स्कीम के दिशा-निर्देश https://commerce.gov.in/trade-promotion/trade-promotion-assistance/ पर उपलब्ध हैं।

टीआईईएस स्कीम के तहत, वित्त वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 और 2021-22 (11 मार्च, 2022 तक) के दौरान कुल 36 निर्यात अवसंरचना परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता को मंजूरी दी गई है। स्कीम के तहत पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में प्रत्येक के दौरान जारी की गई धनराशि का राज्य-वार विवरण अनुबंध में दिया गया है ।

(ग) लॉजिस्टिक्स में दक्षता को सक्षम करने के लिए, एकत्रीकरण और पृथक्करण केंद्र (एक या अधिक संगत वस्तुओं के लिए) बनाना आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लॉजिस्टिक्स क्षमताओं (परिवहन/भंडारण/हैंडलिंग इत्यादि) का पूरी तरह से उपयोग किया जा रहा है। लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिए क्षमताओं का कुशल और साझा उपयोग आवश्यक है। इस संबंध में, सरकार ने विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों को मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान द्वारा विभिन्न एजेंसियों की सभी मौजूदा और प्रस्तावित पहलों को एकीकृत करके एक व्यापक योजना के माध्यम से 'पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी)' की घोषणा की है जिसमें विभिन्न आर्थिक क्षेत्र अंतिम चरण तक मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के नेटवर्क के साथ अंतः संबद्ध आर्थिक विकास का आधार होंगे।

****

<u>अनुबंध</u>

निर्यात को बढ़ावा देने के संबंध में दिनांक 16.03.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2512 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

टीआईएस के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण {वित्त वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2021-22 (11.03.2022 तक)}

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम ,जहां परियोजना स्थित है।	वर्ष	स्वीकृत नई परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई टीआईईएस धनराशि (करोड़ रुपये में)
1.	कर्नाटक	2018-19	0	2.85*
		2019-20	0	2.65*
		2020-21	0	0
		2021-22	0	0.35*
		कुल	**0**	**5.85**
2	केरल	2018-19	0	6.5*
		2019-20	1	10
		2020-21	0	0
		2021-22	1	18.09*
		कुल	**2**	**34.59**
3	मणिपुर	2018-19	1	5.63
		2019-20	0	0
		2020-21	0	5.63*
		2021-22	0	0
		कुल	**1**	**11.26**
4	आंध्र प्रदेश	2018-19	0	26.0144*
		2019-20	0	9.9856*
		2020-21	2	13
		2021-22	0	0
		कुल	**2**	**49**
5	तमिलनाडु	2018-19	4	15.65
		2019-20	5	15.91*
		2020-21	1	14.4584*
		2021-22	4	22.94^
		कुल	**14**	**68.9584**
6	मध्य प्रदेश	2018-19	1	1.80**
		2019-20	0	8.04*
		2020-21	0	0
		2021-22	0	0
		कुल	**1**	**9.84**

7	उत्तर प्रदेश	2018-19	0	0
		2019-20	0	0.48*
		2020-21	0	0
		2021-22	0	0
		कुल	**0**	**0.48**
8	महाराष्ट्र	2018-19	0	0
		2019-20	0	1.52*
		2020-21	1	6.37**
		2021-22	0	0
		कुल	**1**	**7.89**
9	त्रिपुरा	2018-19	0	0
		2019-20	0	0
		2020-21	2	2.58**
		2021-22	0	0
		कुल	**2**	**2.58****
10	पश्चिम बंगाल	2018-19	0	2.56*
		2019-20	0	0
		2020-21	0	0
		2021-22	0	6.83*
		कुल	0	9.39
1 1	दिल्ली	2018-19	1	8
		2019-20	0	0
		2020-21	0	0
		2021-22	0	0
		कुल	**1**	**8**
12	राजस्थान	2018-19	2	3.0681
		2019-20	0	0
		2020-21	0	0
		2021-22	0	0
		कुल	**2**	**3.0681**
13	चंडीगढ़	2018-19	1	2.81
		2019-20	0	0
		2020-21	0	0
		2021-22	0	2.82*
		कुल	**1**	**5.63**
14	असम	2018-19	0	0
		2019-20	2	5.7725
		2020-21	0	5.6875*
		2021-22	0	3.96*
		कुल	**2**	**15.42**
15	पंजाब	2018-19	0	0
		2019-20	2	0
		2020-21	0	5.77*

		2021-22	1	10
		कुल	**3**	**15.77**
16	झारखंड	2018-19	0	0
		2019-20	1	9.80
		2020-21	0	0
		2021-22	0	0
		कुल	**1**	**9.80**
17.	सिक्किम	2018-19	0	0
		2019-20	0	0
		2020-21	1	8.87
		2021-22	0	0
		कुल	**1**	**8.87**
18.	हरियाणा	2018-19	0	0
		2019-20	1	0
		2020-21	0	6.06*
		2021-22	0	0
		कुल	**1**	**6.06**
19.	हिमाचल प्रदेश	2018-19	0	0
		2019-20	0	0
		2020-21	0	0
		2021-22	1	10
		कुल	**1**	**10**
	कुल योग		**36**	**282.4565**
	*इसमें पूर्व में स्वीकृत परियोजना/पिछले वित्तीय वर्ष में स्वीकृत नई परियोजना के लिए अनुवर्ती किस्तों का संवितरण शामिल है। **अभी धनराशि का संवितरण किया जाना है। ^ इसमें से रु. 3.21 करोड़ 04.03.2022 को स्वीकृत किए गए हैं। धनराशि जारी की जानी है।			

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **तारांकित प्रश्न सं० 218**

<u>दिनांक 16 मार्च, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

विदेश व्यापार नीति

***218 कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देलः**

श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाहः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विदेश व्यापार नीति बनाने हेतु कोई पहल की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विभिन्न देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते हेतु कोई पहल की है;

(घ) यदि हां, तो इससे भारत को होने वाले संभावित लाभ सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार ने देश के विशेषकर डेयरी और डेयरी उत्पादों सहित कृषि उत्पादों के व्यापार पर इन व्यापार समझौतों के प्रभाव का भी कोई आकलन किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (च): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

'विदेश व्यापार नीति' के संबंध में दिनांक 16 मार्च, 2022 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 218 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) जी, हाँ।

(ख) वर्तमान विदेश व्यापार नीति, 2015–2020, जिसे पांच वर्षों की अवधि के लिए घोषित किया गया था, को कोविड–19 के कारण एक वर्ष के लिए 31 मार्च, 2021 तक बढ़ाया गया। कोविड–19 के लगातार प्रभाव और एफटोडीआर अधिनियम का आगे पुनः अवलोकन और समीक्षा किए जाने के कारण, विदेश व्यापार नीति 2015–20 को 31 मार्च, 2022 तक बढ़ाया गया। नई विदेश व्यापर नीति तैयार करने की परामर्शी प्रक्रिया के भाग के रुप में स्टेकहोल्डरों के साथ विभिन्न बैठकें आयोजित की गई। सभो सुझावों को आगे की जांच के लिए नोट कर लिया गया है। विदेश व्यापार नीति के निरुपण में विभिन्न अधिकारियों के साथ समन्वय करने के लिए भारत सरकार के संयुक्त सचिव के स्तर के एक अधिकारी के पर्यवेक्षण के तहत एक पृथक विदेश व्यापार नीति प्रकोष्ठ का सृजन किया गया।

(ग) और (घ): भारत ने 2015 के पहले विभिन्न देशों/क्षेत्रों के साथ 10 क्षेत्रीय व्यापार समझौतों/मुक्त व्यापार समझौतों पर और उसके बाद से ऐसे दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये मुक्त व्यापार समझौते आसियान (दक्षिण पूर्व एशियायी राष्ट्रों का संघ), जापान, दक्षिण कोरिया, सार्क (दक्षिण ऐशियायी क्षेत्रीय सहयोग संघ), मारीशॅस और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के साथ हैं। इन देशों/क्षेत्रों को भारत के व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात में गत पांच वर्षों में 20.75% की वृद्धि दर्ज हुई है। जहां तक भारत–मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता (सीईसीपीए) का संबंध है, चूंकि यह 01.04.2021 से कार्यान्वित किया गया है, इसलिए इसके मात्रात्मक लाभों की गणना करना जल्दबाजी होगी। यूएई के साथ समझौते पर 18 फरवरी, 2022 को हस्ताक्षर किए गए और अभी तक यह कार्यान्वित नहीं हुआ है।

इसके अलावा, भारत ने विभिन्न देशों/क्षेत्रों के साथ 6 तरजीही व्यापार समझौतों (पीटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं। **भारत द्वारा हस्ताक्षरित एफटीए/पीटीए की सूची अनुलग्नक–क और ख पर संलग्न है।**

भारत वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, इजराइल और यूरोपीय संघ जैसे कुछ महत्वपूर्ण देशों सहित कुछ अन्य विभिन्न देशों/क्षेत्रों के साथ एफटीए और पीटीए पर बातचीत कर रहा है।

एफटीए के संभावित लाभों में वर्द्धित बाजार अभिगम, स्पर्द्धियों के संदर्भ में स्पर्द्धा के समान अवसर, वर्धित द्विपक्षीय व्यापार, रोजगार के अधिक अवसर शामिल हैं।

(ङ.) और (च): कृषि उत्पादों (डेयरी और डेयरी उत्पाद सहित) का निर्यात अप्रैल–जनवरी 2021 में 32.662 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर अप्रैल–जनवरी 2022 में 40.873 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है अर्थात इसमें 25.14% की वृद्धि हुई है। कृषि उत्पादों के निर्यात में इस वृद्धि में कुछ वद्धि व्यापार समझौतों के परिणामस्वरूप हुई है।

अनुलग्नक–क

पहले से लागू मुक्त व्यापार समझौते

क्रं सं.	समझौते का नाम	समझौते पर हस्ताक्षर करने की तिथि	समझौते के कार्यान्वयन की तिथि
1	भारत–श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता	28 दिसंबर, 1998	1 मार्च, 2000
2	साफ्टा पर समझौता (भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बंगलादेश, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान	4 जनवरी, 2004	1 जनवरी, 2006 (1 जुलाई, 2006 से टैरिफ रियायतें लागू)
3	भारत नेपाल व्यापार संधि	27 अक्टूबर, 2009	इस संधि को 7 वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ाया गया है तथा वर्तमान में यह 26 अक्टूबर 2023 तक लागू है।
4	भारत–भूटान व्यापार, वाणिज्य और पारगमन समझौता	17 जनवरी, 1972	आपसी रुप से सहमत सशोधनों के साथ आवधिक रुप से नवीनीकृत। दिनांक 29 जुलाई, 2006 का समझौता 10 वर्षों की अवधि के लिए वैध था। आपसी सहमति से, वैधता को एक वर्ष की अवधि अथवा प्रस्तावित नए समझौते के लागू होने तक की अवधि तक आगे बढ़ाया गया। नवीनीकृत समझौते पर 12.11.2016 को हस्ताक्षर किए गए तथा यह दिनांक 29 जुलाई 2017 से 10 वर्षों की अवधि के लिए लागू हुआ।
5	भारत–थाईलैंड एफटीए–अली हार्वेस्ट स्कीम (ईएचएस)	9 अक्टूबर, 2003	1 सितंबर, 2004
6	भारत–सिंगापुर सीईसीए	29 जून, 2005	1 अगस्त, 2005
7	भारत–आसियान–सीईसीए माल, सेवा और निवेश व्यापार समझौता (ब्रुनेई, कंबोडिया, इण्डोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम)	वस्तुओं हेतु 13 अगस्त, 2009 तथा सेवाओं और निवेश हेतु नवंबर, 2014	वस्तुएं • भारत और मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड हेतु 1 जनवरी 2010 • भारत और वियतनाम हेतु 1 जून 2010 • भारत और म्यांमार हेतु 1 सितंबर 2010 • भारत और इंडोनेशिया हेतु 1 अक्टूबर 2010 • भारत और ब्रुनेई हेतु 1 नवंबर 2010 • भारत और लाओस हेतु 24 जनवरी 2011 • भारत और फिलीपींस हेतु 1 जून 2011 • भारत और कंबोडिया हेतु 1 अगस्त, 2011 सेवाएं और निवेश 1 जुलाई, 2015
8	भारत – दक्षिण कोरिया सीईपीए	7 अगस्त, 2009	1 जनवरी, 2010
9	भारत – जापान सीईपीए	16 फरवरी, 2011	1 अगस्त, 2011
10	भारत – मलेशिया सीईसीए	18 फरवरी, 2011	1 जुलाई, 2011
11	भारत – मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता (सीईसीपीए)	22 फरवरी, 2021	1 अप्रैल, 2021
12	भारत–यूएई एफटीए	18 फरवरी, 2022	**अभी तक कार्यान्वित नहीं।**

अनुलग्नक–ख

पहले से लागू तरजीही व्यापार समझौते

क्र. सं.	समझौते का नाम	समझौता पर हस्ताक्षर करने की तिथि	समझौता लागू होने की तिथि
1	एशिया प्रशांत व्यापार समझौता (एपीटीए) (बांग्लादेश, चीन, भारत, कोरिया गणराज्य, लाआस पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और श्रीलंका)	जुलाई, 1975 (2 नवंबर, 2005 को संशोधित)	1 नवंबर, 1976
2	ग्लोबल सिस्टम आफ ट्रेड प्रीफेरेन्सेज (जीएसटीपी) (अल्जीरिया, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, बेनिन, बोलीविया, ब्राजील, कैमरून, चिली, कोलंबिया, क्यूबा, कोरिया लोक लोकतांत्रिक गणराज्य, इक्वाडोर, मिस्र, घाना, गिनी, गुयाना, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, लीबिया, मलेशिया, मैक्सिको , मोरक्को, मोजाम्बिक, म्यांमार, निकारागुआ, नाइजीरिया, पाकिस्तान, पेरू, फिलीपींस, कोरिया गणराज्य, रोमानिया, सिंगापुर, श्रीलंका, सूडान, थाईलैंड, त्रिनिदाद और टोबेगो, ट्यूनीशिया, तंजानिया, वेनेजुएला, वियतनाम, यूगोस्लाविया, जिम्बाब्वे)	13 अप्रैल, 1988	19 अप्रैल, 1989
3	सार्क तरजीही व्यापार समझौता (साप्टा) (बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका)	11 अप्रैल, 1993	7 दिसंबर, 1995
4	भारत – अफगानिस्तान	6 मार्च, 2003	13 मई, 2003
5	भारत – मर्कोसुर (अर्जेंटीना, ब्राजील, पराग्वे और उरुग्वे)	25 जनवरी, 2004	1 जून, 2009
6	भारत – चिली	8 मार्च, 2006	11 सितंबर, 2007 समझौते का विस्तार 6 सितंबर, 2016 को किया गया और यह 16 मई, 2017 से लागू हुआ।

भारत सरकार	लोक सभा
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	अतारांकित प्रश्न सं. 2360

दिनांक 16 मार्च, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

आयात और निर्यात का आंकड़ा

2360. श्री शिशिर कुमार अधिकारीः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वित्त वर्ष 2009–10 से वित्त वर्ष 2021–22 तक आयात और निर्यात के आंकड़ों का वर्ष–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2008–2014, 2014–2019 और 2019–2022 (जनवरी 2022 तक) के बीच आयात और निर्यात वृद्धि का देश–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): वित्तीय वर्ष 2009–10 से 2021–22 तक समग्र निर्यात (व्यापारिक वस्तुओं के साथ–साथ सेवाएं) और आयात का विवरण इस प्रकार हैः

वर्ष	निर्यात (अमेरिकी बिलियन डॉलर में मूल्य)	आयात (अमेरिकी बिलियन डॉलर में मूल्य)
2009-10	274.80	348.40
2010-11	374.45	450.32
2011-12	448.29	567.55
2012-13	446.08	571.50
2013-14	466.22	528.95
2014-15	468.45	529.61
2015-16	416.60	465.64
2016-17	440.05	480.21
2017-18	498.61	583.11
2018-19	538.08	640.14
2019-20	526.55	602.98
2020-21	497.90	511.96
2020-21 (अप्रैल से जनवरी)	396.37	399.67
2021-22 (अप्रैल से जनवरी)	544.73	613.65

स्रोतः डीजीसीआई एंड एस एवं आरबीआई (*अनंतिम)

(ख): वर्ष 2007–2008 से 2013–2014, 2013–2014 से 2018–2019 तथा 2018–2019 (अप्रैल–जनवरी) से 2021–2022 (अप्रैल–जनवरी) के बीच शीर्ष 25 देशों को भारत के निर्यात के मूल्य क्रमशः **अनुलग्नक–I, II और III** पर दिए गए हैं। वर्ष 2007–08 से 2013–14, 2013–14 से 2018–2019 और 2018–19 (अप्रैल–जनवरी) से 2021–22 (अप्रैल–जनवरी, 2022) के बीच शीर्ष 25 देशों से भारत के आयात के मूल्य क्रमशः **अनुलग्नक IV, V और VI** पर दिए गए हैं।

(ग) सरकार ने भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) विदेश व्यापार नीति (2015–20) की मध्यावधि समीक्षा (2017) की गई और सुधारात्मक उपाय किए गए।

(ii) कोविड–19 महामारी स्थिति के कारण विदेश व्यापार नीति (2015–20) को एक वर्ष अर्थात 31.03.2022 तक बढ़ाया गया है।

(iii) निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई स्कीमों नामतः निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस) और बाजार अभिगम पहल (एमएआई) स्कीम के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई गई।

(iv) कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु माल–भाड़ा नुकसान को कम करने के लिए माल–भाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय घटक हेतु सहायता प्रदान करने के लिए–एक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम, 'विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों हेतु परिवहन और विपणन सहायता' शुरू की गई।

(v) 01.01.2021 से निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) स्कीम और राज्य और केंद्रीय लेवी और करों की छूट (आरओएससीटीएल) स्कीम का कार्यान्वयन किया गया है।

(vi) व्यापार को सुगम बनाने और निर्यातकों द्वारा मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) के उपयोग को बढ़ाने हेतु उद्गम प्रमाण पत्र के लिए कॉमन डिजीटल प्लेटफॉर्म शुरु किया गया है।

(vii) विशिष्ट कार्य योजनाओं को आगे बढ़ाकर सेवा निर्यातों को बढ़ावा देने और विविधीकरण करने के लिए 12 चैंपियन सेवा क्षेत्रों को अभिचिन्हित किया गया है।

(viii) प्रत्येक जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों की पहचान के द्वारा जिलों को निर्यात हब के तौर पर लांच किया गया है, इन उत्पादों के निर्यात के लिए बाधाओं को दूर किया गया है और जिले में रोज़गार सृजित करने हेतु स्थानीय निर्यातकों/विनिर्माताओं को सहायता दी गई है।

(ix) भारत के व्यापार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी और निवेश लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए विदेशों में भारतीय मिशनों की सक्रिय भूमिका को बढ़ाया गया है।

(x) कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए विभिन्न बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र राहत उपायों के माध्यम से घरेलू उद्योग विशेष रुप से एमएसएमई जिनका निर्यात में बड़ा हिस्सा है, का समर्थन करने के लिए पैकेज की घोषणा की गई है।

*****

अनुलग्नक–I

दिनांक 16 मार्च, 2022 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2360 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

वर्ष 2007–08 से 2013–14 के बीच शीर्ष 25 देशों को मूल्य के अनुसार भारत के व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात का मूल्य

(मूल्य अमेरिकी मिलियन डॉलर में)

क्र. सं.	देश	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	अमेरिका	20731	21150	19535	25296	34746	36161	39159
2	संयुक्त अरब अमीरात	15637	24477	23970	33822	35926	36317	30522
3	चीन पी आरपी	10871	9354	11618	14207	18118	13580	14868
4	बांग्लादेश पीआर	2924	2498	2434	3243	3789	5145	6167
5	नीदरलैंड	5249	6349	6398	7681	9153	10566	7998
6	हांगकांग	6313	6655	7888	10320	12932	12279	12732
7	सिंगापुर	7379	8445	7592	9825	16858	13619	12511
8	यूके	6705	6650	6221	7312	8628	8649	9822
9	जर्मनी	5122	6389	5413	6754	7946	7253	7523
10	नेपाल	1507	1570	1533	2168	2722	3089	3592
11	बेल्जियम	4207	4480	3759	5784	7161	5507	6378
12	सऊदी अरब	3711	5110	3907	4684	5683	9786	12219
13	तुर्की	1753	1417	1539	2749	3547	3964	4434
14	इंडोनेशिया	2164	2560	3063	5701	6678	5331	4850
15	इटली	3914	3825	3400	4554	4885	4373	5274
16	ऑस्ट्रेलिया	1152	1439	1385	1713	2477	2349	2300
17	कोरिया गणराज्य	2861	3952	3421	3730	4355	4206	4210
18	मलेशिया	2575	3420	2835	3871	3980	4444	4198
19	वियतनाम समाजवादी गणराज्य	1610	1739	1839	2651	3719	3967	5442
20	ब्राजिल	2526	2651	2414	4024	5770	6049	5553
21	जापान	3858	3026	3630	5092	6330	6101	6815
22	दक्षिण अफ्रीका	2661	1980	2058	3912	4731	5107	5074
23	फ्रांस	2600	3021	3820	5210	4558	4987	5109
24	थाईलैंड	1811	1938	1740	2274	2961	3733	3703
25	श्रीलंका डीएसआर	2830	2426	2188	3508	4379	3984	4535

स्रोतः डीजीसीआई एंड एस

टिप्पणीः डीजीसीआई एंड एस द्वारा सेवाओं के देशवार आकड़ों का रख रखाव नहीं किया जाता है।

अनुलग्नक–II

दिनांक 16 मार्च, 2022 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2360 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

वर्ष 2013–14 से 2018–19 के बीच शीर्ष 25 देशों को मूल्य के अनुसार भारत के व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात का मूल्य

(मूल्य अमेरिकी मिलियन डॉलर में)

क्र.सं.	देश	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	अमेरिका	39159	42464	40340	42216	47882	52428
2	संयुक्त अरब अमीरात	30522	33028	30316	31175	28146	30127
3	चीन पी आरपी	14868	11959	9015	10172	13334	16753
4	बांग्लादेश पीआर	6167	6450	6035	6820	8615	9210
5	नीदरलैंड	7998	6327	4727	5071	6263	8814
6	हांगकांग	12732	13600	12092	14047	14690	13002
7	सिंगापुर	12511	9810	7720	9565	10203	11572
8	यूके	9822	9354	8858	8551	9713	9330
9	जर्मनी	7523	7540	7095	7184	8689	8904
10	नेपाल	3592	4574	3903	5454	6613	7766
11	बेल्जियम	6378	5520	5028	5657	6207	6730
12	सऊदी अरब	12219	11163	6382	5110	5411	5562
13	तुर्की	4434	5359	4140	4627	5091	5452
14	इंडोनेशिया	4850	4043	2819	3488	3966	5278
15	इटली	5274	5093	4218	4903	5710	5594
16	ऑस्ट्रेलिया	2300	2782	3263	2958	4012	3522
17	कोरिया गणराज्य	4210	4604	3525	4243	4462	4705
18	मलेशिया	4198	5817	3707	5225	5702	6436
19	वियतनाम समाजवादी गणराज्य	5442	6258	5266	6787	7813	6507
20	ब्राजिल	5553	5964	2650	2400	3063	3800
21	जापान	6815	5386	4663	3846	4735	4862
22	दक्षिण अफ्रीका	5074	5302	3588	3546	3825	4067
23	फ्रांस	5109	4957	4634	5250	4902	5235
24	थाईलैंड	3703	3465	2988	3133	3654	4441
25	श्रीलंका डीएसआर	4535	6704	5311	3913	4476	4710

स्रोतः डीजीसीआई एंड एस

अनुलग्नक–III

दिनांक 16 मार्च, 2022 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2360 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

वर्ष 2018–19 (जनवरी, 2020 तक) से 2021–22 (जनवरी, 2022 तक) के बीच शीर्ष 25 देशों को मूल्य के अनुसार भारत के व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात का मूल्य

(मूल्य अमेरिकी मिलियन डॉलर में)

क्र.सं.	देश	2018–19 (जनवरी, 2020 तक)	2019–20 (जनवरी, 2020 तक)	2020–21 (जनवरी, 2021 तक)	2021–22 (जनवरी, 2022 तक)*
1	अमेरिका	43310	44701	41182	62284
2	संयुक्त अरब अमीरात	24884	24256	12902	22360
3	चीन पी आरपी	13774	14428	16823	18405
4	बांग्लादेश पीआर	7576	6742	6929	12923
5	नीदरलैंड	7105	7082	4928	9276
6	हांगकांग	10391	9314	8160	9210
7	सिंगापुर	8674	7633	6941	9061
8	यूके	7685	7417	6255	8562
9	जर्मनी	7313	7007	6473	7918
10	नेपाल	6551	6069	5196	7886
11	बेल्जियम	5658	5026	3820	7853
12	सऊदी अरब	4465	5010	4797	7158
13	तुर्की	4467	4267	3068	6913
14	इंडोनेशिया	3945	3070	3356	6674
15	इटली	4532	4071	3534	6647
16	ऑस्ट्रेलिया	3009	2410	3287	6334
17	कोरिया गणराज्य	4016	4022	3734	6276
18	मलेशिया	5598	5333	5067	5837
19	वियतनाम समाजवादी गणराज्य	5482	4412	3903	5570
20	ब्राजिल	3088	3430	3181	5415
21	जापान	4032	3820	3495	5163
22	दक्षिण अफ्रीका	3474	3421	3303	4919
23	फ्रांस	4289	4334	3700	4912
24	थाईलैंड	3706	3641	3205	4608
25	श्रीलंका डीएसआर	3888	3244	2660	4487

स्रोतः डीजीसीआई एंड एस *अनंतिम

अनुलग्नक–IV

दिनांक 16 मार्च, 2022 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2360 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

वर्ष 2007–08 से 2013–14 के बीच शीर्ष 25 देशों से मूल्य के अनुसार भारत के व्यापारिक वस्तुओं के आयात का मूल्य

(मूल्य अमेरिकी मिलियन डॉलर में)

क्र. सं.	देश	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	चीन पी आरपी	27146	32497	30824	43480	54691	52248	51036
2	संयुक्त अरब अमीरात	13483	23791	19499	32753	36768	39139	29021
3	अमेरिका	21067	18561	16974	20051	23381	25205	22506
4	सऊदी अरब	19470	19973	17098	20385	31750	33631	36405
5	इराक	6838	7710	7027	9008	18919	19247	18521
6	स्विट्जरलैंड	9758	11870	14698	24802	35242	32166	19311
7	हांगकांग	2698	6452	4734	9415	10417	7907	7322
8	सिंगापुर	8123	7655	6455	7139	8339	7486	6763
9	कोरिया गणराज्य	6045	8677	8576	10475	12794	13105	12471
10	इंडोनेशिया	4821	6666	8657	9919	14839	14879	14749
11	ऑस्ट्रेलिया	7815	11098	12407	10789	15784	13086	9823
12	जर्मनी	9885	12006	10318	11891	15498	14326	12933
13	जापान	6326	7886	6734	8632	11966	12412	9481
14	कतर	2456	3499	4649	6820	12927	15693	15709
15	मलेशिया	6013	7185	5177	6524	9474	9950	9230
16	दक्षिण अफ्रीका	3605	5514	5674	7141	11237	8886	6075
17	कुवैत	7704	9594	8249	10314	16334	16588	17154
18	नाइजीरिया	7612	8900	7288	10788	14755	12086	14098
19	बेल्जियम	4350	5777	6019	8610	10374	10047	10752
20	रूस	2478	4328	3567	3600	4787	4232	3895
21	थाईलैंड	2301	2704	2932	4272	5278	5353	5340
22	यू के	4954	5872	4462	5397	7130	6294	6045
23	वियतनाम समाजवादी गणराज्य	174	409	522	1065	1717	2315	2594
24	ओमान	1141	1205	3500	4002	3347	2010	2951
25	ताइवान	2400	2869	2613	3961	4805	3963	4041

स्रोतः डीजीसीआई एंड एस

अनुलग्नक–V

दिनांक 16 मार्च, 2022 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2360 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

वर्ष 2013–14 से 2018–19 के बीच शीर्ष 25 देशों से मूल्य के अनुसार भारत के व्यापारिक वस्तुओं के आयात का मूल्य

(मूल्य अमेरिकी मिलियन डॉलर में)

क्र.सं.	देश	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	चीन पी आरपी	51036	60413	61708	61283	76381	70320
2	संयुक्त अरब अमीरात	29021	26140	19446	21510	21739	29787
3	अमेरिका	22506	21815	21781	22307	26611	35550
4	सऊदी अरब	36405	28108	20321	19972	22070	28479
5	इराक	18521	14248	10838	11708	17616	22372
6	स्विट्जरलैंड	19311	22133	19299	17249	18923	18088
7	हांगकांग	7322	5572	6052	8204	10676	17987
8	सिंगापुर	6763	7124	7308	7087	7467	16282
9	कोरिया गणराज्य	12471	13529	13047	12585	16362	16759
10	इंडोनेशिया	14749	15005	13132	13428	16439	15854
11	ऑस्ट्रेलिया	9823	10247	8899	11154	13994	13131
12	जर्मनी	12933	12788	12088	11584	13296	15167
13	जापान	9481	10131	9850	9755	10973	12773
14	कतर	15709	14605	9022	7646	8409	10722
15	मलेशिया	9230	11118	9084	8934	9012	10819
16	दक्षिण अफ्रीका	6075	6497	5948	5834	6835	6517
17	कुवैत	17154	13382	4970	4462	7166	7431
18	नाइजीरिया	14098	13683	9949	7659	9501	10885
19	बेल्जियम	10752	10806	8256	6625	5993	10469
20	रूस	3895	4249	4585	5552	8573	5840
21	थाईलैंड	5340	5866	5510	5415	7134	7442
22	यू के	6045	5018	5193	3665	4807	7562
23	वियतनाम समाजवादी गणराज्य	2594	3003	2560	3321	5019	7192
24	ओमान	2951	1752	1675	1290	4264	2759
25	ताइवान	4041	4029	3354	3143	3926	4577

स्रोतः डीजीसीआई एंड एस

अनुलग्नक–VI

दिनांक 16 मार्च, 2022 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2360 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

वर्ष 2018–19 (अप्रैल–जनवरी) से 2021–22 (अप्रैल–जनवरी) के बीच शीर्ष 25 देशों से मूल्य के अनुसार भारत के व्यापारिक वस्तुओं के आयात का मूल्य

(मूल्य अमेरिकी मिलियन डॉलर में)

क्र.सं.	देश	2018–19 (अप्रैल–जनवरी)	2019–20 (अप्रैल–जनवरी	2020–21 (अप्रैल–जनवरी	2021–22 (अप्रैल–जनवरी) *
1	चीन पी आरपी	60109	57936	52045	76622
2	संयुक्त अरब अमीरात	24743	25767	19660	35919
3	अमेरिका	29713	30566	21762	34444
4	सऊदी अरब	24241	22978	13030	26175
5	इराक	18812	19839	10991	24316
6	स्विट्जरलैंड	15152	14798	10672	20320
7	हांगकांग	15050	14617	12349	15702
8	सिंगापुर	13453	12194	9919	14927
9	कोरिया गणराज्य	14046	13227	9885	14395
10	इंडोनेशिया	13417	12772	10041	14149
11	ऑस्ट्रेलिया	11370	8537	6146	13501
12	जर्मनी	13006	11662	11038	12446
13	जापान	10645	10598	8396	12045
14	कतर	9118	7857	6184	10486
15	मलेशिया	9057	8488	6423	10201
16	दक्षिण अफ्रीका	5574	5447	5533	9155
17	कुवैत	6032	7978	4103	8633
18	नाइजीरिया	8941	8623	4406	8124
19	बेल्जियम	8737	7556	5421	7995
20	रूस	4948	5976	4369	7972
21	थाईलैंड	6232	5722	4223	7514
22	यू के	6393	5858	3827	5915
23	वियतनाम समाजवादी गणराज्य	6155	6313	4808	5761
24	ओमान	2301	2961	2232	5335
25	ताइवान	3846	3430	3155	5015

स्रोतः डीजीसीआई एंड एस *अनंतिम

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2363

दिनांक 16 मार्च, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

निर्यात हबों की पहचान करना

2363. श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरेः
श्री रंजीतसिंह हिंदूराव नाईक निम्बालकरः
श्री अरुण सावः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश के किसानों की आय को दोगुना करने की दृष्टि से देश के प्रत्येक जिले के उत्पादों की पहचान करके एक जिले को उसके उत्पाद विशेष का निर्यात हब बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र के सतारा, सोलापुर और लातूर जिलों तथा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, मुंगेली और गौरेला–पेंड्रा–मरवाही जिले सहित देश में चिन्हित किए गए उत्पादों का जिला–वार और उत्पाद–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा विगत वर्ष इन जिलों से निर्यात किए गए उत्पादों के नाम क्या है और इस संबंध में कितना कारोबार हुआ है तथा विशेषकर महाराष्ट्र के सतारा, सोलापुर और लातूर जिलों का तत्संबंधी जिले–वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिए कोई आकलन किया है कि इस योजना को शुरू करने के बाद किसानों को किस हद तक लाभ हुआ है जिसका उद्देश्य देश में इसके दूरगामी प्रभाव डालना है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ड.) देश के सभी जिलों में "जिलों को निर्यात हब बनाने" संबंधी पहल के अंतर्गत निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं को चिन्हित किया गया है। यह एक निंरतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसका लक्ष्य जिला स्तर पर निर्यात, विनिर्माण का संवर्धन करना तथा आर्थिक कार्यकलापों को बढ़ावा देना है। सभी जिलों में एक संस्थागत तंत्र नामतः जिला निर्यात संवर्धन समितियां गठित की गई हैं ताकि जिला विशिष्ट निर्यात कार्य योजनाएं बनाने के लिए व्यापक रुप से स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श किया जा सके जिसमें चिन्हित उत्पादों और सेवाओं के निर्यात हेतु स्थानीय निर्यातकों/विनिर्माताओं/किसानों द्वारा अपेक्षित सहायता की रूपरेखा होगी। भारत के बाहर संभावित खरीदारों तक पहुंच के लिए पर्याप्त मात्रा और अपेक्षित गुणवत्ता वाले निर्यात योग्य उत्पादों का विनिर्माण करने में स्थानीय निर्यातकों/विनिर्माताओं/किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए अपेक्षित विशिष्ट कार्रवाई करना जिलों में निर्यात को सुगभ बनाने के लिए उपायों को कार्यान्वित करने की योजना का हिस्सा है।

महाराष्ट्र के सतारा, सोलापुर और लातूर जिलों तथा छतीसगढ़ के बिलासपुर मुंगेली और गौरेला–पेंड्रा–मरवाही जिलों सहित देश में चिन्हित जिलों और उत्पादों की उत्पाद–वार सूची **अनुलग्नक–I** पर दी गई है।

अप्रैल 2021 से जनवरी, 2022 के दौरान महाराष्ट्र के सतारा, सोलापुर और लातूर जिलों तथा छत्तीसगढ के बिलासपुर और मुंगेली जिलों के निर्यात आंकड़ों सहित निर्यात किए गए उत्पादों का विवरण **अनुलग्नक–II** पर संलग्न है।

अनुलग्नक–I

यह 16.03.2022 को लोकसभा प्रश्न सं. 2363 के उत्तर के संदर्भ में है

जिलों में चिन्हित निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं की सूची

क्रमांक	राज्य	जिलों के नाम	निर्यात क्षमता के साथ पहचाने गए उत्पाद/सेवाएं
1.	**आंध्र प्रदेश**	अनंतपुर	रेडीमेड गारमेंट्स (जीन्स, टी–शर्ट, ट्राउजर आदि), एमएस स्टील ट्यूब (एमएस पाइप, जीआई पाइप आदि), ऑटोमोबाइल (कार, इंजन आदि), केला, अनार, आंध्र प्रदेश चमड़ा कठपुतली, धर्मवरम हैंडलूम पट्टू साड़ी और पावदास, रेशमी साड़ी, आम, बल्क ड्रग्म
2.		चित्तूर	पॉलिश ग्रेनाइट और ग्रेनाइट स्मारक, कपड़ा और वस्त्र, आम और फलों का गूदा, आम, श्रीकालहस्ती कलमकारी, तिरुपति लड्डू, दुग्ध उत्पाद, हल्दी, पोलिश ग्रेनाइट और स्मारक, घरेलू वस्त्र
3.		पूर्वी गोदावरी	कॉयर और कॉयर उत्पाद, चावल, चीनी, जमे हुए श्रिम्प, कॉयर फाइबर और कॉयर पीठ, उप्पदा जामदानी साड़ी
4.		गुंटूर	तंबाकू, सूती धागे, मिर्च, हल्दी, कपड़ा, गुंटूर सन्नम मिर्च, मछली और श्रिम्प, अविनिर्मित तंबाकू
5.		कृष्णा	सूती धागे, चादरें, ग्रे कपड़ा, बल्क ड्रग्स और इंटरमीडिएट, प्रसंस्कृत झींगा, मोटिव पॉवर बैटरी, हर्बल उत्पाद, मछली और मछली उत्पाद, आम, कोंडापल्ली खिलौने, प्रसंस्कृत श्रिंप, ऑटो बैटरी
6.		कुरनूल	हाइड्रोजनीकृत अरंडी का तेल, हाइड्रोक्सी स्टेरिक एसिड, कास्टिक सोडा फ्लेक्स, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड फ्लेक्स, कैल्शियम हाइपो क्लोराइड, अनार, आम, चूने पत्थर की पट्टिया, पत्थर की मूर्तियां/नक्काशीदार उत्पाद, कपास की गांठे
7.		प्रकाशम	ग्रेनाइट (ब्लॉक गैलेक्सी, स्टील ग्रे, ब्लॉक पर्ल), काजू उत्पाद, काजू, उत्पाद, समुद्री भोजन एवं समुद्री उत्पाद
8.		एसपीएसआर	उदयगिरी लकड़ी की कटलरी, क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, प्रसंस्कृत झींगा/श्रिंप, चावल, बल्क ड्रग्स, ऑटो के कलपुर्जे, फेल्डस्पेयर क्वार्ट्ज एवं सिलिका, चावल
9.		श्रीकाकुलम	काजू गिरी, ग्रेनाइट, फार्मा उत्पाद, बल्क ड्रग्स, ग्रेनाइट स्माटक एवं पट्टियां, ऑटो के कलपुर्जे (पिस्टन रिंग्स)
10.		विजयनगरम	बल्क ड्रग्स और इन्टर्मीडीएरीज, काजू प्रसंस्करण, सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री, क्वार्ट्ज ग्रिट्स और सिलिका पाउडर, बॉबबिली वीना, एपीआई, सिलिको मैंगनीज़, आम उत्पाद (जैली)
11.		विशाखापत्तनम	नारियल आधारित उत्पाद, मिश्र धातु के पहिये, काजू, काली मिर्च, समुद्री खाद्य पदार्थ, हल्दी, शहद, हस्तशिल्प जैसे एटिकोपक्का खिलौने, खनिज और खनिज आधारित उत्पाद (एपेटाइट, क्रिस्टलीय चूना पत्थर, क्वार्ट्ज, वर्मीक्यूलाइट, सफेद मिट्टी, रूबी, आइका, कैल्साइट, लाल और पीला गेरू), सिल्वर ओक की लकड़ी, अराकू कॉफी, जिंजर पाउडर, बल्क ड्रग्स एवं फार्मा, समुद्री उत्पाद, जूट उत्पाद
12.		पश्चिम गोदावरी	कपास यार्न, प्रसंस्कृत झींगे/श्रिम्प, समुद्री भोजन, मानव बाल, एस्पिरिन, सिरेमिक, सेनेटरीवेयर उत्पाद, काजू, कॉयर पिथ, कॉफी, क्रोशिया लेस फीता उत्पाद
13.		वाईएसआर कडपा (कुडप्पाह)	बेरियम क्लोराइड, पोर्टलैंड सीमेंट, केला
14.	**असम**	बक्सा	चावल, चाय, बांस, केला, मछली
15.		बारपेटा	पारंपरिक असमिया आभूषण, नारियल, केला, भूत जोलाकिया

			मिर्च, चावल
16.		बिश्वनाथ	मछली, चावल, मिर्च, केला, बांस
17.		बोंगईगांव	कला–शिल्प हथकरघा, केला, तेल, अदरक, मिर्च
18.		कछार	बांस, मिर्च, चावल, केला, चाय
19.		चराइदेव	अनानास, अदरक, केला, चावल, चाय
20.		चिरांग	बांस, चाय, केला, मिर्च, चावल, असमी नींबू
21.		दरांग	चाय, मछली, चावल, केला, मिर्च
22.		धेमाजी	मछली, मिर्च, चाय, बांस, केला, रेशम
23.		धुबरी	बांस, चाय, केला, मछली, चावल, टेराकोटा खिलौने
24.		डिब्रूगढ़	चावल, चाय, बांस, केला, मछली
25.		दीमा हसाओ	अदरक, अनानास, संतरा, चाय, चावल
26.		गोलपाड़ा	केला, स्ट्रॉबेरी उत्पाद, चाय, मछली, चावल,
27.		गोलाघाट	अदरक, अनानास, चावल, केला, बांस
28.		हैलाकांडी	रेशम उत्पादन, बेंत, चावल, मिर्च, केला
29.		होजै	चावल, चाय, बांस, मछली, अदरक, अगर उत्पाद
30.		जोरहाट	केला, चावल, मिर्च, मछली, चाय
31.		कामरूप (एम)	पारंपरिक असमिया आभूषण, घरेलू साज सामान, एरी, मुगा और असम रेशम से बने फैशनेबल वस्त्र आइटम, मुगा एवं असमी रेशम अगरबत्ती, सीमेंट, केला
32.		कामरूप (आर)	प्लास्टिक मोल्डेड फर्नीचर, आयुर्वेदिक दवाएं और फार्मास्यूटिकल्स, मच्छर प्रतिरोधी, स्टील फर्नीचर, मिर्च
33.		कार्बी आंगलोंग	असम कार्बी आंगलोंग अदरक, अनानास, हल्दी, राजा मिर्च (भूतजोलोकिया), सेब
34.		करीमगंज	मिर्च, मछली, चावल, केला, बांस
35.		कोकराझार	मूगा रेशम, बांस, चावल, चाय, अदरक, मिर्च
36.		लखीमपुर	वन्यजीव, केला, चावल, मिर्च, अदरक, मूगा रेशम
37.		माजुली	कृषि, मछली, चावल, केला, हथकरघा, मिट्टी के बर्तन और मुखौटा बनाना
38.		मोरीगांव	मक्का/मक्का का उत्पाद, एरी/उत्पाद एरी रेशम, पैट मुगा रेशम, जल जलकुंभी उत्पाद, केला
39.		नगांव	जोहा चावल, मसालाः स्टोन फ्लावर, कैसिया तोरा, काली इलायची, अन्य मसालेः तेज पत्ता, काली मिर्च के बीज, दालचीनी की छड़ें, गोस्ट चिली (भूत जोलोकिया), वन्यजीव
40.		नलबाड़ी	मछली, चाय, बांस, अदरक, अनानास
41.		शिवसागर	बांस, चावल, केला, अदरक, मिर्च, रेशम उत्पादन
42.		सोनितपुर	तेजपुर लीची, बांस, चाय, केला, मिर्च, चावल
43.		दक्षिण सलमारा मनकाचार	बांस, चाय, केला, मिर्च, अदरक
44.		तिनसुकिया	चाय, नींबू, गोस्ट चिली (भूत जोलोकिया), वन्यजीव, केला
45.		उदलगुड़ी	वन्यजीव, पर्यटन, केला, मिर्च, अनानास
46.		पश्चिम कार्बी आंगलोंग	सेब, असम कार्बी आंगलोंग, अदरक, चाय, पारंपरिक आभूषण, बांस
47.	**अरुणाचल प्रदेश**	अंजाव	कीवी, सेब, अनानास, चावल, बांस
48.		चांगलांग	कीवी, सेब मेरे–वूल, मिर्च, अदरक
49.		दिबांग घाटी	सेब, कीवी, चाय, अदरक, बोल्डर
50.		पूर्वी कामेंग	अदरक, अनानस, चूना पत्थर, सीमेंट, मिर्च
51.		पूर्वी सियांग	नींबू, हल्दी, पत्थर, पारंपरिक आभूषण, सेब
52.		कमले	कीवी, हल्दी, चावल, अदरक, मिर्च

53.		क्रा दादी	कीवी, सेब, चाय, चावल, केला
54.		कुरुंग कुमे	कीवी, ऑर्किड, बांस, अदरक, सेब
55.		लेपा रादा	सेब, कीवी, अनानास, चावल, मिर्च
56.		लोहित	कीवी, केला, अनानास, बोल्डर, अदरक
57.		लॉन्गडिंग	कीवी, सेब, मिर्च, अनानास, केला
58.		निचली दिबांग घाटी	कीवी, केला, सेब, बांस, अदरक
59.		निचला सियांग	सेब, अनानास, बोल्डर, चूना पत्थर, सीमेंट
60.		निचला सुबनसिरी	चावल, बांस, मिर्च, केला, मछली
61.		नामसाई	अनानास, अदरक, बांस, सेब, कीवी
62.		पक्के केसांग	एन्थ्यूरियम, बांस, बोल्डर, चाय, मिर्च, चावल, अदरक, सेब
63.		पापुम पारे	सेब, कीवी, अनानास, अदरक, चावल
64.		शी योमी	सेब, मिर्च, केला, अदरक, अनानास
65.		सियांग	सेब, ऑर्किड, अनानास, चावल, मछली
66.		तिरप	कीवी, चाय, चूना पत्थर, सीमेंट, मिर्च
67.		तवांग	सेब, अदरक, केला, मिर्च, चावल
68.		ऊपरी सुबनसिरी	पारंपरिक आभूषण, बांस, अनानास, अदरक, बोल्डर
69.		अपर सियांग	सेब, चावल, मछली, चाय, अदरक
70.		पश्चिम कामेंग	ऑर्किड, अनानस, केला, मिर्च, चाय
71.		पश्चिम सियांग	बांस, एन्थोरियम, मिर्च, सेब, कीवी
72.	**बिहार**	अररिया	जूट, मखाना
73.		अरवल	बेकरी उत्पाद
74.		औरंगाबाद	चावल
75.		बांका	रेशम
76.		बेगूसराय	आम, लीची, मक्का, सोयाबीन, दुग्ध उत्पाद
77.		भागलपुर	भागलपुर रेशम, भागलपुरी जरदालू, चावल (कटरानी), मंजूषा पेंटिंग
78.		भोजपुर	चावल
79.		बक्सर	चावल
80.		दरभंगा	मखाना, मधुबनी पेंटिंग
81.		गया	पर्यटन
82.		गोपालगंज	गन्ना, चीनी, गुड़, मशरूम, पर्यटन
83.		जमुई	गारमेंट्स
84.		जहानाबाद	फुटवेअर
85.		कैमूर (भभुआ)	मकोरो के गोविंद भोग चावल, भभुआ सीमेंट, चावल, चावल की भूसी का तेल
86.		कटिहार	जूट, मखाना, चावल
87.		खगरिया	जूट, मखाना, मक्का, दुग्ध उत्पाद, आम, मछली, केला
88.		किशनगंज	जूट
89.		लखीसराय	चावल, रेडीमेड गारमेंट्स
90.		मधेपुरा	मखाना, मक्का, धान
91.		मधुबनी	मधुबनी चित्रकला
92.		मुंगेर (मोंघिर)	तंबाकू उत्पाद, मेंथा, शहद
93.		मुजफ्फरपुर	बिहार की शाही लीची, लाहठी
94.		नालंदा	पर्यटन
95.		नवादा	चीनी
96.		वेस्ट (पश्चिम) चंपारण	लकड़ी के फर्नीचर, रेडीमेड गारमेंट्स
97.		पटना	फार्मा, खाद्य प्रसंस्करण
98.		पूर्वी चंपारण (मोतीहारी)	चावल (कटरानी और सोनाचूर), सीप बुटन, मछली, चीनी, पर्ल

			कल्टीवेशन
99.		पूर्णिया	जूट उत्पाद
100.		रोहतास	सीमेंट, पर्यटन
101.		सहरसा	आम, लीची, मक्का
102.		समस्तीपुर	चीनी, जूट, हल्दी पाउडर, बांस की हस्तशिल्प वस्तुएं
103.		सारण	आम
104.		शेखपुरा	प्याज, दाल
105.		सोहर	चावल
106.		सीतामढ़ी	पर्यटन, सिक्की कांच के उत्पाद
107.		सिवान	कृषि आधारित उत्पाद, मेंथा और औषधीय पौधे
108.		सुपौल	जूट, कृषि आधारित उत्पाद, मखाना
109.		वैशाली	कोल्ड ड्रिंक, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर, बिस्किट और बेकरी
110.	**छत्तीसगढ़**	बालोद	चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा, आम, फूलगोभी, पिजन पीज।
111.		बलौदा बाजार	चावल, मक्का, कबूतर मटर, लैथिलस, सीमेंट
112.		बलरामपुर	चावल, ज्वार, मक्का, आलू,
113.		बस्तर	बस्तर लौह शिल्प, चावल, ज्वार, मक्का, आलू,
114.		बेमेतरा	चावल, ज्वार, मक्का, पिजन पीज, सोयाबीन, आम, चुना पत्थर, डोलो माइट
115.		बीजापुर	चावल, ज्वार, मक्का, पिजन पीज, सोयाबीन, आम, लघु वन उत्पाद जैस महुआ
116.		बिलासपुर	मक्का, दालें, चावल, गेहूं, तिल,
117.		दंतेवाड़ा (दक्षिण बस्तर)	चावल, मक्का, फिंगर बाजरा, नाइजर, धान
118.		धमतरी	मूंग, काला चना, मूंगफली, तिल,
119.		दुर्ग	चावल, ज्वार, पिजन पीज, काला चना, सोयाबीन, चूना पत्थर
120.		गरियाबंद	चावल, पिजन पीज, सरसों – सफेद सरसो, मूंगफली,
121.		गोरेला पेन्ड्रा मड़वाही	चावल, पिजन पीज, सरसों – सफेद सरसो, मूंगफली,
122.		जांजगीर–चंपा	चावल, विजन पीज, आम, फूलगोभी,
123.		जशपुर	आलू, गेहूं, जौ, तेल की फसल,
124.		कबीरधाम	चावल, आम, केला, फूलगोभी, पत्ता गोभी,
125.		कांकेर	चावल, गेहूं, पिजन पीज, हरा चना,
126.		कोंडागांव	चावल, आम, फूलगोभी, पत्ता गोभी, बैगन, बस्तर लौह हस्तकला
127.		कोरबा	मक्का, दालें (सभी प्रकार), चावल, सोयाबीन,
128.		कोरिया	मक्का, दालें (सभी प्रकार), चावल, सोयाबीन,
129.		महासमुंद	मूंग, उलिड, मूंगफली, तिल, मक्का, ग्रेनाइट
130.		मुंगेलि	चावल, पिजन पीज, हरा चना, काला चना, मक्का,
131.		नारायणपुर	चावल, मटर के दाने, काले चने, आम,
132.		रायगढ़	चावल, अरहर मटर, चना, चना, मूंगफली, ढोकरा काम
133.		रायपुर	चावल, मक्का, सोयाबीन, आम,
134.		राजनंदगांव	चावल, मक्का, सोयाबीन, आम,
135.		सुकमा	चावल, पिजन पीज, ज्वार, मक्का, बाजरा,
136.		सुरजपुर	चावल, ज्वार, मक्का, आलू,
137.		सरगुजा	चावल, ज्वार, मक्का, आलू,
138.	**गोवा**	उत्तरी गोवा	काजू, फार्मास्यूटिकल्स, पर्यटन और मत्स्य पालन, खोला मिर्च, फेनी
139.		दक्षिण गोवा	फार्मास्यूटिकल्स, पर्यटन और मत्स्य पालन, खोला मिर्च, फेनी
140.	**गुजरात**	अहमदाबाद	फार्मा, कपड़ा, इंजीनियरिंग, प्लास्टिक
141.		अमरेली	मूंगफली
142.		आनंद	डेयरी अमूल, अगेट्स ऑफ कैम्बे, इंजीनियरिंग, कृषि

143.		अरावली	खनिज, कृषि–प्रसंस्करण, कांच और टाइलें, महीन ईंटें, कपड़ा
144.		बनासकांठा (पालनपुर)	कृषि कृषि उत्पाद, आलू, डेयरी उत्पाद, कॉस्टर तेल डेरिवेटिव (अरंडी, मूंगफली तेल सहित)
145.		भरूच	रसायन, केला
146.		भावनगर	इन्वेस्टमेन्ट कास्टिंग, प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद (निर्जलित सब्जियां और मूंगफली का मक्खन)
147.		बोटाड	मूंगफली
148.		छोटा उदयपुर	सांखेड़ा फर्नीचर, फर्नीचर, वन उत्पाद
149.		डैंग (अहवा)	रासायनिक और कागज, आम, समुद्री उत्पाद
150.		देवभूमि द्वारका	समुद्री और मत्स्य पालन
151.		दाहोद	कृषि
152.		गांधीनगर	इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्य प्रसंस्करण, सॉफ्टवेयर, वित्तीय सेवाएं, रसायन
153.		गिर सोमनाथ	समुद्री और मत्स्य उद्योग, आम
154.		जामनगर	जामनगरी बंधनी, पीतल की वस्तुएं
155.		साबरकांठा (हिम्मतनगर)	सिरेमिक और टाइलें, आलू
156.		जूनागढ़	आम
157.		खेड़ा (नाडियाड)	कृषि, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ
158.		कच्छ	आम, कच्छ कढ़ाई कच्छ शॉल, समुद्री उत्पाद, अरंडी
159.		मेहसाणा	डेयरी, कृषि, इंजीनियरिंग, जीरा, अरंडी
160.		महिसागर	कृषि
161.		मोरबी	सिरेमिक आइटम
162.		नर्मदा (राजपिप्ला)	वन उत्पाद, पर्यटन, केला
163.		नवसारी	चिकित्सा उपकरण, आम, समुद्री उत्पाद
164.		पंचमहल (गोधरा)	कृषि, प्लास्टिक
165.		पाटन	कृषि उत्पाद, पाटन पटोला, अरंडी
166.		पोरबंदर	समुद्री और मत्स्य उद्योग
167.		राजकोट	इंजीनियरिंग सामान, राजकोट पटोला
168.		सूरत	कपड़ा, केला, सूरत जरी शिल्प, अनार
169.		सुरेंद्रनगर	तंगलिया शॉल, कताई उद्योग
170.		तापी	कृषि उत्पाद (चावल, मूंगफली, फल, भिंडी)
171.		वडोदरा	फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग
172.		वलसाड	रासायनिक और कागज, आम, समुद्री उत्पाद
173.	**हरियाणा**	अंबाला	चावल और वैज्ञानिक उपकरण, कृषि
174.		भिवानी	कृषि
175.		चरखी दादरी	कृषि
176.		फरीदाबाद	ऑटो कंपोनेंट्स, लाइट और इंजीनियरिंग सामान
177.		फतेहाबाद	कृषि, कढ़ाई का कपड़ा
178.		गुरूग्राम (गुडगाँव)	होम फर्निशिंग और इंजीनियरिंग सामान
179.		हिसार	फ्लैट स्टील उत्पाद (इंजीनियरिंग क्षेत्र)
180.		झज्जर	फुटवियर क्लस्टर
181.		जींद	कृषि
182.		कैथल	कृषि
183.		करनाल	बागवानी और चावल
184.		कुरुक्षेत्र	कृषि / पर्यटन
185.		महेंद्रगढ़	कृषि
186.		नूह	कृषि
187.		पलवल	कृषि / उद्योग

188.		पंचकुला	कृषि
189.		पानीपत	हथकरघा, कालीन, कपड़ा
190.		रेवाड़ी	उद्योग हब
191.		रोहतक	इंजीनियरिंग आइटम
192.		सिरसा	कृषि
193.		सोनीपत	इंडस्ट्रीज
194.		यमुनानगर	प्लाईवुड, रसोई के बर्तन
195.	**हिमाचल प्रदेश**	बिलासपुर	मसाले, पर्यटन
196.		चंबा	पर्यटन, हस्तशिल्प, चंबा रुमाल
197.		हमीरपुर	पर्यटन, कृषि उत्पाद
198.		कांगड़ा	अचार, जैम स्क्वैश, कांगड़ा चाय, कांगड़ा पेंटिंग, पर्यटन
199.		किन्नौर	हिमाचली चुल्ली तेल (खुबानी का तेल), पर्यटन, बागवानी, किन्नौरी शॉल
200.		लाहौल और स्पीति	पर्यटन, लकड़ी पर नक्काशी
201.		कुल्लू	पर्यटन, बागवानी, डेयरी उत्पाद, कुल्लू शॉल
202.		मंडी	मसाले, पर्यटन, बागवानी, फूलों की खेती, हस्तशिल्प
203.		शिमला	पर्यटन, हिमाचली चुल्ली तेल
204.		सिरमौर (सिरम्योर)	बागवानी
205.		सोलन	मशरूम, पर्यटन, फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा धागा
206.		ऊना	अचार, जैम स्कोश, पर्यटन, अभियांत्रि की वस्तुएं, प्रसंस्कृत वस्तुएं
207.	**झारखंड**	बोकारो	इस्पात उत्पाद
208.		छत्र	सब्जियां
209.		देवगढ़	टूरिज्म लाख चूड़ियाँ, चावल
210.		धनबाद	कोल, आग रोक उत्पाद
211.		दुमका	बांस शिल्प
212.		पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर)	ऑटो कलपुर्जे
213.		जामताड़ा	बांस शिल्प, काजू
214.		गढ़वा	कालीन
215.		गिरिडीह	कोयला, टीएमटी बार्स, आगरोक उत्पाद
216.		गोड्डा	लेमन ग्रास, रेशम
217.		गुमला	लाख, अचार
218.		हजारीबाग	पीतल के बर्तन, सक्रिय बॉक्साइट, कांस्य के बर्तन
219.		खुंटी	लाख, आग रोक मदें
220.		कोडरमा	माइका, सब्जियां
221.		लातेहार	लाख, शहद
222.		लोहरदगा	शहद, सब्जियां, रागी
223.		पाकुर	जूट, स्टोन चिप्स
224.		प्लामू	वनोपज, अरहर की दाल
225.		रामगढ़	कोयला और खनिज आधारित उद्‌योग, रेफ्रेक्ट्रीज, टीएमटी बार्स, शकरकंद
226.		रांची	भारी मशीनरी और उपकरण, लाख, खनिज, चीनी मिट्टी की चीज़ें, बीपीओ, चावल, आग रोक आइटम, लुब्रीकेंट, परिधान
227.		साहिबगंज	जूट, स्टोन चिप्स
228.		सरायकेला खरसावां	रेलवे पॉइंट और क्रॉसिंग, हेवी मोटर्स के गियर साफ्ट पिन, लैंसिंग ट्यूब, एल्युमिनियम अलॉय कंपोनेंट, बिलेट्स और एमएसवायर, माइक्रो ड्रिल्स और रॉयटर्स, फोर्ज्ड ऑटो, रेलवे कंपोनेंट, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, इन्टर्नली कम्बशन पिप्सटन इंजन, नायलॉन ट्यूब और पाइप, आयरन एंड स्टील कास्टिंग,

			एमवीपार्ट्स, क्रॉस ड्रैगलिंक्स, जंग रोधक पेंट्स, कोल टार्स, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस।
229.		सिमडेगा	लाख, पपीता, कटहल
230.		पश्चिमी सिंहभूमि (चाईबासा)	इंजिनियरिंग गुड्स (सब्जियां)
231.	**कर्नाटक**	बागलकोट	अनार, अंगूर (थॉम्पसन सीडलेस, रेड ग्लोब, शरद सीडलेस), सपोटा और हल्दी, किशमिश, जैविक गुड़, चीनी, मक्का, पर्यटन (बादामी, ऐहोल, पट्टाडकल, कूडलसंगम)
232.		बेलगावी (बेलगाम)	गेहूँ, जैविक गुड़, चीनी, किशमिश, लोहे की ढलाई, औद्योगिक कास्टिंग, हाइड्रोलिक दबाव उपकरण, पंप और वाल्व सहायक उपकरण, इंजीनियरिंग घटक, एयरोस्पेस घटक), कोल्हापुरी चप्पल, हल्दी, दूध आधारित मूल्य वर्धित उत्पाद अनार
233.		बेल्लारी (बेल्लारे)	ग्रेनाइट, जींस पंत, परिधान जूट उत्पाद, इंजीनियरिंग उत्पाद, विद्युत मशीनरी और परिवहन उपकरण, इंजीनियरिंग/लौह अयस्क आधारित मूल्यवर्धित उत्पाद, अनार, मिर्च
234.		बेंगलुरु ग्रामीण,	मशीन टूल्स, बैंगलोर ब्लू ग्रेप्स, बैंगलोर रोज़ प्याज, वाइन, अमरूद का गूदा, सब्जियां और फूल, रेडीमेड वस्त्र, इंजीनियरिंग/एयरोस्पेस/ऑटोमोबाइल, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, रेशम, पौधे/जैव अर्क, फार्मास्युटिकल उत्पाद
235.		बेंगलुरु अर्बन	प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सब्जियां और फूल, इंजीनियरिंग मशीन टूल्स/ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स/एयरोस्पेस कंपोनेंट्स/प्रिसिजन कंपोनेंट्स, अर्थ मूविंग मशीनरी, रक्षा विनिर्माण, विद्युत मशीनरी, आदि, ईएसडीएम उत्पाद। फार्मा और बायोटेक, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, प्लांट एक्सट्रैक्ट्स, एफआईबीसी बैग्स और पैकेजिंग उत्पाद, रेडीमेड गारमेंट्स/टेक्सटाइल्स। सेवाएं—अस्पताल/स्वास्थ्य/कल्याण/शैक्षिक, इंजीनियरिंग सेवाएं, वैश्विक अनुसंधान एवं विकास, विनिर्माण के लिए हब/वैश्विक विकास केंद्र, आईटी/आईटीईएस।
236.		बीदर	बिदरीवेयर, बल्क ड्रग्स, हरा चना और सोयाबीन उत्पाद, हैंड पेपर, क्राफ्ट पेपर, अदरक, पपीता, आम (दशेरी और केसर) कमलापुर केला, अदरक, पर्यटन
237.		चामराजनगर	हल्दी, केला, अदरक, शहद, आम (अल्फांसो), रेशमी वस्त्र, काला ग्रेनाइट
238.		चिक्कबल्लपुर	बैंगलोर रोज़ प्याज, बैंगलोर ब्लू अंगूर, आम (अल्फांसो, मल्लिका, रसपुरी और बेनिशान), खीरा और टमाटर सहित सब्जियां।
239.		चिक्कमंगलुरु	चिकमगलूर अरेबिका कॉफी, स्पेशलिटी कॉफी (वैल्यू एडेड आइटम) (अरेबिका और रोबस्टा), काली मिर्च (पन्नियूर), गेरकिंस, शहद, ककड़ी के बीज, पर्यटन
240.		चित्रदुर्ग	एलईडी लाइट्स, अनार, मूंगफली, छोटे बाजरा और प्याज, मोलाकलमुर सिल्क साड़ी, मक्का ग्रिट, पर्यटन
241.		दक्षिण कन्नड़	काजू (उल्लल 1,2,3) और मसाले, समुद्री उत्पाद, जैक फ्रूट, प्लास्टिक घटक, लाइट इंजीनियरिंग (ऑटो घटक, इलेक्ट्रिकल, प्लास्टिक मशीनरी आदि), पर्यटन, मूल्य वर्धित प्लास्टिक आइटम (बुने हुए बोरे/एफआईबीसी), ऑप्टिकल आइटम, मोल्डेड और एक्स्ट्रैक्टेड आइटम, पैकेजिंग आइटम, प्लास्टिक पुर्जे।
242.		दावनगेरे	चावल, मक्का, सब्जी, माइनर मिलेट (रागी, नवाने) और मूल्य

			वर्धित उत्पाद, सुपारी मूल्य वर्धित उत्पाद / प्लेट, चीनी, गेंदे के फूल का अर्क, गेरकिन, फाउंड्री उत्पाद, ईंधन ब्रिकेट (मक्का बायोमास आधारित)
243.		धारावाड़	आम (अल्फांसो), भिंडी, हरा चना, काला हरा चना, औद्योगिक वाल्व, ऑटो घटक, खीरा, मैंगो पल्प, धारवाड़ पेड़ा, नवलगुंड कालीन, कर्नाटक कसुती, स्वीट कॉर्न बेबी कॉर्न, फल और सब्जियां, प्रसंस्कृत फल और सब्जी उत्पाद।
244.		गदग	प्याज, मिर्च, मक्का, मूंगफली के बीज, मूंगफली, दालें, हरा चना,
245.		हसन	चावल, कॉफी, स्पेशलिटी कॉफी (वैल्यू एडेड आइटम), मसाले, आलू और आलू के मूल्य वर्धित उत्पाद, अदरक, कॉयर, सक्रिय कार्बन, काली मिर्च, ककड़ी के बीज, पर्यटन
246.		हावेरी	ब्यादगी मिर्च, मिर्च, आम (अलफांसो) मक्का मूल्य वर्धित उत्पाद
247.		कलबुर्गिक (गुलबर्गा)	सौर पैनल, इनवर्टर, कैपेसिटर आदि, तूर दाल और दालें, कमलापुर लाल केला, फुलर्स अर्थ (बेंटोनाइट क्ले), कपास और मूल्य वर्धित उत्पाद।
248.		कोडागू	कॉफी, स्पेशलिटी कॉफी (वैल्यू एडेड आइटम), कूर्ग मंदारिन, मसाले, एन्थ्यूरियम और आर्किड, इलायची, काली मिर्च, शहद, पर्यटन
249.		कोलार	आम (थोथापुरी, मल्लिका, बनशान और अल्फांसो), टमाटर, रंग शिमला मिर्च, बाजरा रागी, गुलाब प्याज, सब्जियां, आम का गूदा, प्रसंस्कृत दालें/मसाले/अनाज, इंजीनियरिंग (दुरुस्ती संघटक), एयरोस्पेस और रक्षा घटक, ऑटोमोबाइल, फोन, परिधान।
250.		कोप्पल	प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक खिलौने, चावल, आम (केसर और अल्फांसो), अमरूद गुलाबी, पपीता, अनार, किन्हल खिलौने
251.		मंड्या	केला, जैविक/रासायनिक मुक्त गुड़, चीनी, रागी और छोटे बाजरा, रेडीमेड वस्त्र, सब्जियां और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, शहद, कोडियाला सिल्क साड़ी, कटहल, पपीता, आम, नारियल
252.		मैसोर (मैसूर)	इंटीग्रेटेड सर्किट बोर्ड, अनार, मैसूर सिल्क, मैसूर अगरबत्ती, मैसूर रोज़वुड इनले, मैसूर सैंडलवुड ऑयल, मैसूर सैंडल सोप, मैसूर ट्रेडिशनल पेंटिंग्स, मैसूर सुपारी, मैसूर मल्लिगे, मैसूर, केला, स्वीट कॉर्न और मसालों के गंजीफा कार्ड, सुपारी, रेशम, रेशम के वस्त्र, इंजीनियरिंग उत्पाद (मशीन उपकरण, ऑटो घटक, चिकित्सा उपकरण, पीसीबी, ईएसडीएम क्लस्टर उत्पाद), नंजनगुड केला, मैसूरपाक (मीठा), ईरानगरेब्रिंजल, हस्तशिल्प, चंदन साबुन, अगरबत्ती, चमेली/आवश्यक तेल और इत्र, प्रसंस्कृत भोजन , गुड़, पर्यटन।
253.		रायचुर	चावल, अनार, अंजीर, कपास, फार्मा उत्पाद, मिर्च
254.		रामनगर	चन्नापट्टन खिलौने और गुड़िया, कॉयर उत्पाद, लकड़ी आधारित शिल्प उत्पाद और लकड़ी के रसोई के सामान, ऑटो घटक, ऑटोमोबाइल, फर्नीचर, एफएमसीजी, ग्रेनाइट, हर्बल आयुर्वेदिक उत्पाद, आम (अल्फांसो), रागी, बेबीकॉर्न, बाजरा, सब्जी और फूलों के बीज, लाख के खिलौने
255.		शिवमोगा (शिमोगा)	अदरक, केला, सुपारी मूल्य वर्धित उत्पाद, मसाले (काली मिर्च और इलायची), अनानस, सुपारी का पत्ता कप/प्लेट, ऑटो घटक/कास्टिंग, रेडीमेड वस्त्र, मक्का और मूल्य वर्धित उत्पाद, हस्तशिल्प वस्तु
256.		तुमकुरु (तुमकुर)	नारियल, अनार, इमली और छोटे बाजरा, मशीन टूल्स, ऑटोमोबाइल घटक, कॉयर बोर्ड, कॉयर पिथ, जियोटेक्सटाइल्स,

			टफेड कॉयर, रबरयुक्त कॉयर, सक्रिय कार्बन, खीरा, इमली के उत्पाद, आम और पपीते का गूदा, नारियल का सूखा पाउडर, सुपारी के पत्ते के उत्पाद
257.		उडुपी	समुद्री उत्पाद, उडुपी मल्लिगे, उडुपी मट्टूगुल्ला बैंगन, उडुपी साड़ी, काजू, चावल (कग्गा), उडुपी चमेली
258.		उत्तर कन्नड़ (कारवार)	कोनाना कट्टे, तरल गुड़ (गन्ना), काजू और समुद्री उत्पाद, मसाले, कटहल, हल्दी, सुपारी और इसके मूल्य वर्धित उत्पाद (मसाले, सुपारी और उसके भूरम वर्धित उत्पाद)
259.		विजयपुरा (बीजापुर)	अनार, कागजी चूना और अंगूर, किशमिश, पर्यटन।
260.		यादगीर	बाजरा, चावल, अरहर, कपास
261.	**केरल**	अलपुझा	कॉयर उत्पाद
262.		एर्नाकुलम	वज़हकुलम अनानस, चेन्दमंगलम धोती और सेट मुंडू, पोक्कली चावल, कैपाद चावल, समुद्री उत्पाद, मसाला उत्पाद, रासायनिक उत्पाद, इंजीनियरिंग उत्पाद
263.		इडुक्की	मालाबार काली मिर्च, मरयूर गुड़, मसाला उत्पाद, पर्यटन
264.		कन्नूरी	कन्नानोर होम फर्निशिंग, पय्यानुर पवित्रा रिंग, कैपद चावल, कपड़ा, हथकरघा
265.		कासरगोड	खाद्य उत्पाद
266.		कोल्लम	काजू उत्पाद
267.		कोट्टायम	रबर उत्पाद
268.		कोझिकोड	मानसूनी मालाबार अरेबिका और रोबस्टा कॉफी, मालाबार काली मिर्च, फुटवियर उत्पाद
269.		मलप्पुरम	नीलांबुर सागौन, तिरूर सुपारी (तिरुर) वेट्टीला), खाद्य उत्पाद
270.		पलक्कड़	पलक्कड़न मट्टा चावल, नवारा चावल, पलक्कड़ का मदालम, इंजीनियरिंग उत्पाद, खाद्य उत्पाद
271.		पथानामथिट्टा	पर्यटन सेवाएं
272.		तिरुवनंतपुरम	केला, चिकित्सा उपकरण
273.		त्रिशूर	केला, मशीनरी, हस्तशिल्प
274.		वायनाड	मालाबार काली मिर्च, केला, वायनाड जीराकसला चावल, वायनाड गंधकशाला चावल, वायनाड रोबस्टा कॉफी, मसाला उत्पाद, चाय, कॉफी
275.	**मध्य प्रदेश**	अगर मालवा	संतरा
276.		अलीराजपुर	हस्तनिर्मित आभूषण, मक्का, नूरजहां आम, मूसली
277.		अनूपपुर	तिल के बीज, कास्टिक सोडा, स्ट्रॉबेरी, कोडा कुटरी
278.		अशोकनगर	चंदेरी साड़ी, ज्वैलरी बॉक्स
279.		बालाघाट	मैंगनीज, बॉक्साइट,
280.		बड़वानी	कपास, मिर्च, फल, पर्यटन, अदरक, केला
281.		बेतुल	गुड़, इमारती लकड़ी, खाद्य प्रसंस्करण, चावल, कपास
282.		भिंड	सरसों, चॉकलेट, एल ई डी
283.		भोपाल	फार्मा उत्पाद, भारी बिजली के सामान और टर्बाइन, ज़री ज़रदोज़ी, जूट उत्पाद
284.		बुरहानपुर	अनार, केला और केला फाइबर, तिलहन, खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा
285.		छतरपूर	हस्त निर्मित शिल्प
286.		छिंदवाड़ा	संतरा
287.		दमोह	प्याज, लकड़ी का फर्नीचर, दालें
288.		दतिया	कच्चा सूत और सूत, काला चना, गेहूँ
289.		देवास	फार्मा उत्पाद, मशीनरी पुर्जे, आलू
290.		धार (पितमपूर)	एफआईबीसी प्लास्टिक उत्पाद, ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल

			पाट्र्स, अन्य इंजीनियरिंग उत्पाद, वस्त्र, बाग प्रिंट, सीताफल, सोयाबीन
291.		डिंडोरी	लोहे और बांस की हस्तशिल्प, आयुर्वेदिक विनिर्मितियां, गोड चित्रकला
292.		गुना	जूट बैग, खनिज या रासायनिक उर्वरक, धनिया
293.		ग्वालियर	आलू, दरी, रबर के टायर, ट्रांसफार्मर के घटक, बलुआ पत्थर की टाईल
294.		हरदा	गेहूं का आटा, सागौन की लकड़ी, मूंग दाल, ताड़ के पत्ते की वस्तुएँ, गेहूं और संबंधित उत्पाद
295.		होशंगाबाद	कपड़े, हस्तशिल्प वस्तुएं
296.		इंदौर	प्याज, आलू, कागज और कागज उत्पाद, फार्मा, परिधान और इंजीनियरिंग, इंदौर के चमड़े के खिलौने,
297.		जबलपुर	रेडीमेड गारमेंट्स और होजरी, हरी मटर और दाल, आइटीईएस, कृषि उत्पाद, संगमरमर उत्पाद, पर्यटन
298.		झाबुआ	मक्के का फर्श, बाँस से बनी टोकरियाँ, नीम, सफ़ेद मुसली (औषधीय पौधे या पत्ती) कड़क नार्थ चिकन, नीम
299.		कटनी	ईंटें, कृत्रिम आभूषण
300.		खरगोन	अनार, कच्चा कपास, मिर्च, कॉटन बेल्स, कॉटन यार्न, सबमर्सिबल पंप, छोला, पीपी बैग, नॉनवॉवन बैग, जंबो बैग, खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी
301.		खंडवा	अनार, प्याज़
302.		मंडला	कोडो–कुटाकी, डोलोमाइट उत्पाद, पर्यटन, हस्तशिल्प, जैविक उत्पाद, पारिस्थितिक पर्यटन
303.		मन्दसौर	प्याज, लहसुन और अन्य सब्जियां (ताजी और ठंडी)
304.		मुरैना	लकड़ी आधारित, धातु की मूर्तियां, खाद्य तेल
305.		नरसिंहपुर	सोया तेल, आम, "पिटल" हस्तशिल्प, गुड़ (गुड़)
306.		नीमच	धनिया के बीज, लहसुन, अश्वगंधा, चमड़े की बेल्ट, गिलोय
307.		निवारी	ग्लास फाइबर, सोया बीन तेल और उसके अंश, मुंगफली
308.		पन्ना	शिल्प, भारतीय आंवला (आंवला)
309.		रायसेन	चावल और कृषि उत्पाद
310.		राजगढ़	डोलोमाइट, सिसल क्राफ्ट, स्टील शीट और गैर–मिश्र धातु, संतरा
311.		रतलाम	काबुली चना, मूंगफली, कपास, सोयाबीन और उसके उत्पाद, स्ट्रॉबेरी आदि और संबंधित कृषि उत्पाद, रतलामी सेव, सोना, लहसुन
312.		रेवा	ऑप्टिकल फाइबर केबल, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर टर्बाइन, सीमेंट
313.		सागर	प्याज, टायर, पेट्रोरसायन, पर्यावरण पर्यटन, कृषि उपकरण
314.		सतना	फुटवेअर, सीमेंट, विद्युत संधारित्र, प्याज
315.		सीहोर	गेहूं का आटा, कृषि उपकरण, पनीर, कपड़ा, रेडीमेड वस्त्र, लकड़ी के खिलौने और हस्तशिल्प
316.		सिवनी	काला पत्थर, चावल, खोवा, कपास
317.		शाहडोल	मिट्टी, कागज उत्पाद, हल्दी
318.		शाजापुर	संतरा
319.		श्योपुर	इंजेक्शन मोल्डेड प्लास्टिक, शहद
320.		शिवपुरी	आयरनवर्क्स, टेक्सटाइल्स, वन उत्पाद, कृषि उत्पाद, मूंगफली, जैकेट्स
321.		सीधी	दरी, चमड़े की पट्टी, अरहर दाल, महुआ, कटहल प्रसंस्करण (कथल) और आम
322.		सिंगरौली	वाटर जेल और इमल्शन विस्फोटक, बटर पेड़
323.		टीकमगढ़	दतिया और टीकमगढ़ के बेल मेटल वेयर, सिरेमिक वस्तुएं

324.		उज्जैन	शिल्प, चीनी मिट्टी की मूर्तियाँ और मूर्तियां
325.		उमरिया	बांस शिल्प, सोया, पारिस्थितिक पर्यटन, मुछुए का पेड़
326.		विदिशा	शरबती गेहूं, चना, हथकरघा कपड़ा, जूट, कृषि उपकरण
327.	**महाराष्ट्र**	अहमदनगर	विद्युत उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, अनार
328.		अकोला	सूती धागे, दवाएं/औषध, सूती दरियां, रासायनिक उर्वरक
329.		अमरावती	संतरा
330.		औरंगाबाद	इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल्स और कृषि उत्पाद, इंजीनियरिंग सेवाएं, पैठानी साड़ी और कपड़े, मराठवाड़ा केसर आम, शरीफा
331.		बीड	कपास, खाद्य तेल, दालें, कपड़ा उत्पाद, बीड कस्टर्ड सेब
332.		भंडारा	चावल, मैंगनीज अयस्क, संपीड़न के साथ माल के परिवहन के लिए मोटर वाहन (ट्रक और लॉरी)
333.		बुलढाना	कपास कच्चे, पिजन पीज, प्लास्टिक के रबर के लिए मिश्रित प्लास्टिसाइज़र
334.		चंद्रपुर	सीमेंट, कागज, लौह अयस्क
335.		धुले	केला, तेल केक, कपड़ा, खाद्य तेल, फैटी एसिड, कृषि और वन आधारित उत्पाद
336.		गडचिरोली	लाख की चूड़ियाँ (कांच के मोती, नकली मोती, नकली कीमती या अर्ध कीमती पत्थर और इसी तरह का कांच), रेशम के बुने हुए कपड़े, कच्चा डोलोमाइट केतसाइंड या सिंटरित नहीं
337.		गोंदिया	चावल की भूसी का तेल, बेंत या चुकंदर चीनी
338.		हिंगोली	सूती धागा, बेंत या चुकंदर चीनी, गोंद, केला, चीनी मिट्टी के बरतन, हल्दी
339.		जलगांव	जलगाँव केला, जलगाँव भरित बैंगन
340.		जलना	हाइब्रिड सीड्स, ऑयल एंड डी–ऑयल केक, रेरोल स्टील्स, टीएमटी बार्स, बिलेट्स, कृषि उत्पाद, इंजीनियरिंग उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, जालना स्वीट ऑरेंज
341.		कोल्हापुर	कृषि उत्पाद। चमड़ा और इंजीनियरिंग सामान, केला, कोल्हापुर गुड़, कोल्हापुरी चप्पल
342.		लातूर	कृषि उत्पाद, दालें (उड़द, मूत्र, तुअर और चना) तिलहन, दुग्ध पाऊडर
343.		मुंबई शहर	रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, कपड़ा, चमड़ा, प्लास्टिक, वित्तीय सेवाएं और लेखा और लेखा परीक्षा सेवाएं, कानूनी सेवाएं, परिवहन और रसद सेवाएं, प्रबंधन परामर्श सेवाएं
344.		मुंबई उपनगरीय	रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, कपड़ा, चमड़ा, प्लास्टिक, वित्तीय सेवाएं और लेखा और लेखा परीक्षा सेवाएं, सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं (आईटी और आईटीईएस), संचार सेवाएं (ऑडियो विजुअल सर्विसेज – मोशन पिक्चर और वीडियो टेप उत्पादन और वितरण सेवा), प्रबंधन परामर्श सेवाएं, इंजीनियरिंग सेवाएं
345.		नागपुर	नागपुर संतरा, मूंगफली का तेल, एल्युमिनियम शीट, गन्ना चीनी, कपास यार्न
346.		नांदेड़	कृषि उत्पाद और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ
347.		नंदुरबारी	गन्ना चीनी, एथिल अल्कोहल, कस्टर्ड और सेब
348.		नासिक	कृषि उत्पाद, विद्युत उत्पाद, औषधि आदि, नासिक अंगूर, प्याज, नासिक घाटी शराब, लासलगांव प्याज
349.		उस्मानाबाद	कृषि उत्पाद

350.		पालघर	रसायन, "चीकू" (सपोडिला), फार्मास्यूटिकल्स, लौह और इस्पात और इंजीनियरिंग उत्पाद, कपड़ा, प्लास्टिक से संबंधित, मत्स्य पालन, समुद्री और खाद्य प्रसंस्करण, फल और सब्जियां, वारली पेंटिंग (हस्तशिल्प) फोकस सेवाएं – पर्यटन और आतिथ्य सेवाएं, परिवहन और रसद सेवाएं
351.		परभनी	कृषि उत्पाद
352.		पुणे	पुरंधर अंजीर, ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग सामान, कृषि उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद, अनार, अंगूर
353.		रायगढ़	आयरन एंड स्टील उत्पाद, रसायन, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग, मत्स्य पालन, समुद्री और खाद्य प्रसंस्करण, गणेश मूर्ति (हस्तशिल्प), परिवहन और रसद सेवाएं, सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं (आईटी और आईटीईएस), पर्यटन और आतिथ्य सेवाएं, शिक्षा सेवाएं, एल्फोंसो आम
354.		रत्नागिरी	समुद्री, कृषि उत्पाद और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, आम, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी कोकुम
355.		सांगली	कृषि उत्पाद और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, अंगूर, सांगली किशमिश, सांगली हल्दी
356.		सतारा	कृषि उत्पाद, महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी, वाघ्य घेवड़ा, इंजीनियरिंग वस्तुएं, प्रसंस्कृत खाद्य, पर्यटन सेवाएं
357.		सिंधुदुर्ग	मत्स्य पालन, फल, रसायन, पर्यटन, समुद्री उत्पाद, आम, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी कोकुम, जूट उत्पाद
358.		सोलापुर	कपड़ा और कृषि उत्पाद, केमशाफ्टस, केला, सोलापुर अनार, सोलापुर चादर, सोलापुर टेरी तौलिया, मंगलवेधा ज्वार
359.		थाने	रसायन, प्लास्टिक से संबंधित, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग, कपड़ा, प्लास्टिक से संबंधित, परिवहन और संभार तंत्र सेवाएं, सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं (आईटी और आईटीईएस), संचार सेवाएं (ऑडियो विजुअल सर्विसेज – मोशन पिक्चर और वीडियो टेप उत्पादन और वितरण सेवा), प्रबंधन परामर्श सेवाएं, इंजीनियरिंग सेवाएं
360.		वर्धा	संतरा
361.		वाशिम	हस्तशिल्प उत्पाद, सिंथेटिक फिलामेंट्स के सूती धागे सूती के वजन वाले
362.		यवतमाल	डेनिम, तेल रहित केक, सिंथेटिक फिलामेंट्स के सूती धागे सूती के वजन वाले
363.	**मणिपुर**	बिष्णुपुर	जूट, भूतजोलकिया, चूना पत्थर, अदरक, अनानास, खिलौने और गुड़िया, मछली उत्पाद, हथकरघा
364.		चंदेल	अदरक, केला, भूतजोलकिया, अनानास, जूट, बांस एवं केन
365.		चुराचनपुर	अनानास, केला, अदरक, चूना पत्थर, जूट, ट्राइबल हस्तकला और हथकरघा
366.		इंफाल पूर्व	वांगखेई फी, भूतजोलकिया, जूट, अदरक, अनानास, चूना पत्थर, खिलौने और गुड़िया, हथकरघा,
367.		इंफाल पश्चिम	वांगखेई फी, अदरक, जूट, भूतजोलकिया, केला, अनानास, खिलौने और गुड़िया, हथकरघा, मछली उत्पाद
368.		जिरीबाम	चूना पत्थर, जूट, भूतजोलकिया, अनानास, अदरक, नारियल
369.		काकचिंग	अनानास, अदरक, चूना पत्थर, संतरा, केला, काला चावल
370.		कामजोंग	केला, अदरक, चूना पत्थर, संतरा, अनानस, किंग मिर्च
371.		कांगपोकपी	भूतजोलोकिया, अनानास, जूट, चावल, संतरा, हल्दी
372.		नोनी	केला, चूना पत्थर, अदरक, चावल, अनानास
373.		फेरज़ावली	अनानास, जूट, अदरक, चावल, बांस

374.		सेनापति	अदरक, जूट, चूना पत्थर, अनानास, केला, कीवी, मिट्टी के बर्तन
375.		तामेंगलांग	चूना पत्थर, जूट, अदरक, भूतजोलकिया, अनानास, संतरा
376.		टेंग्नौपाल	जूट, अनानास, अदरक, बांस टहनी, केला
377.		थौबल	अदरक, जूट, भूतजोलकिया, चूना पत्थर, चावल, अनानास
378.		उखरूल	चूना पत्थर, जूट, अदरक, भूतजोलकिया, अनानास, कचाई नींबू
379.	**मेघालय**	पूर्वी गारो हिल्स	अदरक, नींबू, अनानस, बांस, बोल्डर
380.		पूर्वी जयंतिया हिल्स	मंदारिन ऑरेंज, नींबू, हल्दी, सीमेंट, चूना पत्थर
381.		पूर्वी खासी हिल्स	तेज पत्ता, मैंडरिन संतरा, चूना पत्थर, संतरा, अदरक
382.		उत्तरी गारो हिल्स	मंदारिन अंग, नींबू, हल्दी, चूना पत्थर, चाय
383.		री–भोई	अदरक, अनानास, मछली, चाय, सीमेंट
384.		दक्षिण गारो हिल्स	अदरक, बांस, चावल, मछली, केला
385.		दक्षिण पश्चिम गारो हिल्स	अनानस, अदरक, चूना पत्थर, सीमेंट, बोल्डर
386.		दक्षिण पश्चिम खासी हिल्स	तेज पत्ता, अदरक, चूना पत्थर, बांस, मिर्च,
387.		वेस्ट गारो हिल्स	अदरक, मंदारिन संतरा, नींबू, केला, अनानस
388.		पश्चिम जयंतिया हिल्स	मंदारिन, नींबू, हल्दी, बांस, केला
389.		पश्चिम खासी हिल्स	तेज पत्ता, मैंडरिन ऑरेंज, रॉक्स, राइस, बोल्डर
390.	**मिजोरम**	आइजोल	बांस, एंथुरियम, ऑर्किड, संतरा, मिज़ो मिर्च
391.		चम्फाई	अनानस, रेशम, मछली, ऑर्किड, संतरा
392.		हनहथियाल	एन्थ्यूरियम, ऑर्किड, संतरा, मछली, बांस, कृष्ण कमल फल
393.		ख्वाजाव	ऑर्किड, मछली, एन्थ्यूरियम, संतरा, बांस
394.		कोलासिबो	ऑर्किड, मछली, एन्थ्यूरियम, संतरा, मिज़ो मिर्च
395.		लॉगटलाई	ऑर्किड, मछली, एन्थ्यूरियम, संतरा, अनानास
396.		लुंगलेई	बांस, एंथुरियम, ऑर्किड, संतरा, रेशम, अनानास
397.		मामित	बांस, एंथुरियम, ऑर्किड, संतरा, रेशम, अनानास
398.		सैहा	मिजो मिर्च, बांस, एंथुरियम, ऑर्किड, संतरा, रेशम, अनानास
399.		सेरछिप	बांस, एंथुरियम, ऑर्किड, संतरा, रेशम, अनानास
400.		सैतुअल	बांस, एंथुरियम, ऑर्किड, संतरा, रेशम, अनानास
401.	**नागालैंड**	दीमापुर	एन्थ्यूरियम, ऑर्किड, बांस, केला, चावल
402.		किफायर	नागा मिर्च, भूत जोलोकिया, मछली, बोल्डर, अनानास
403.		कोहिमा	नागा मिर्च, अदरक, ऑर्किड, पर्यटन, संतरा
404.		लॉन्गलेंग	पर्यटन, अदरक, ऑर्किड, बांस, चावल
405.		मोकोकचुंग	पर्यटन, अदरक, अनानास, इलायची, ऑर्किड
406.		मोन	सब्जियां, अदरक, संतरा, ऑर्किड, केला
407.		पेरेन	चाय, औषधीय जड़ी बूटी, पारंपरिक आभूषण, ऑर्किड, नागा मिर्च
408.		फेक	हथकरघा उत्पाद, हस्तशिल्प उत्पाद, अदरक, बांस, अनानास
409.		तुयेनसांग	एन्थ्यूरियम, ऑर्किड, अदरक, अनानस, चावल
410.		वोखा	अदरक, संतरा, चाय, मछली, अनानास
411.		जुन्हेबोटो	चाय, अदरक, ऑर्किड, एन्थोरियम, नागा मिर्च
412.		नोक्लाक	हथकरघा उत्पाद, ऑर्किड, चूना पत्थर, सीमेंट, अदरक
413.	**उड़ीसा**	अंगुल	एल्यूमिनियम पिंड, स्टील सिल्लियां
414.		बालंगीर	चवल, लौह और स्टील, प्याज़, डेयरी/दुग्ध आधारित उत्पाद
415.		बालासोर	टायर, कागज और नालीदार बक्से, समुद्री उत्पाद, पत्थर की हस्तकला
416.		बारगढ़	कपड़ा, हथकरघा
417.		भद्रक	परिधान, चावल, मछली
418.		बौध	कपड़ा, हथकरघा पट्टा साड़ी

419.		कटक	केमिकल एवं पेट्रोकेमिकल, इंजीनियरिंग और निमार्ण, चांदी के तंतु का सामान, मणिमाबंधा का हथकरघा
420.		देवगढ़	तरबूज, संतरा, लीची, हस्तकला
421.		ढेंकनाल	हस्तकरधा, ढोकरा, भेटलक्राफ्ट, हस्तकला, काजू
422.		गजपति	चावल, काजू कार्नेल, ग्रेनाइट स्लैब, हल्दी का तेल
423.		गंजम	गंजम केवड़ा रूह, गंजम केवड़ा फूल, हथकरघा, काजू, ग्रेनाइट स्लैब
424.		जाजपुर	पत्थर पर नक्काशी/हस्तशिल्प
425.		जगतसिंहपुर	प्लास्टिक उत्पाद, चावल, समुदी, टेराकोटा एवं पोटरी (इनुकुआ)
426.		झारसुगुड़ा	एल्यूमिनियम पिंड, मिर्च और अदरक
427.		कालाहांडी	चावल, रत्न, एल्यूमिनियम हस्तशिल्प (लकड़ी पर नक्काशी)
428.		कंधमाली	अदरक, कंधमाल हल्दी, हल्दी
429.		केंद्रपाड़ा	पर्यटन, सुनहरी घास उत्पाद, सुनहरी घास हस्तकला
430.		केन्डूझार	टसर साड़ी, कपड़ा, हथकरघा खनिज पदार्थ
431.		खोरधा (भुवनेश्वर)	समुद्री उत्पाद
432.		कोरापुट	कोटपुट हथकरघा कपड़ा काजू
433.		मल्कानगिरी	हस्तकला ग्रेनाइट स्लैब, हल्दी, बाजरा, प्रसंस्कृत मछली
434.		मयूरभंजी	लौह, कागज़, कागज़ बोर्ड, मक्का, चावल
435.		नवरंग गंज	अगरो, कागज़, कागज़ उत्पाद, मक्का
436.		नयागढ़	पीतल और बेल धातु
437.		नुआपाड़ा	खाद्य, रसायन एवं संबद्ध उत्पाद, मछुआ का फूल कपास और प्याज
438.		पुरी (पिपिली)	पिपली अप्लीक वर्क, हैंडीक्राफ्ट, स्टोनक्राफट (पट्टचित्र) और समुद्री उत्पाद
439.		रायगरा	कागज़, चार्ज क्रोम, कैल्शियम कार्बोनेट, कपास इमली
440.		संबलपुर	चावल, धातुशिल्प, संबलपुरी बंध साड़ी और कपड़े एल्यूमिनियम सिल, मिर्च
441.		सुबर्णापुर	टेक्सटाईल हैण्डलूस
442.		सुंदरगढ़ (राउरकेला)	रिफ्रेक्टरी, स्पंज आयरन, स्टील, सीमेंट
443.	**पंजाब**	अमृतसर	कृषि वस्तुएं, पर्यटन, फूलों की खेती, चावल, कंबल और शॉल, पापड़, वड़िया
444.		बरनाला	हार्वेस्टर संयुक्त, सेब और अंडा पेपर ट्रे, कुक्कुट/मांस, टेरी तौलिया, कृषि उपकरण
445.		भटिंडा	किन्नू, कपड़ा, शहद
446.		फरीदकोट	चावल
447.		फतेहगढ़ साहिब	री–रोल्ड स्टील सिल्लियां, ऑटो कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग गुड्स
448.		फाजिल्का	खट्टे फल (किन्नू), चावल, पंजाबी जूती
449.		फिरोजपुर	कृषि प्रसंस्करण, चावल
450.		गुरदासपुर	चावल, फाउंड्री, खराद मशीन, हल्दी पाउड्र, मांस
451.		होशियारपुर	कपड़ा, ट्रैक्टर और उसके पुर्जे, शहद, आलू
452.		जालंधर	खेल के सामान, शहद, हाथ के औजार, चमड़े के सामान, आलू
453.		कपूरथला	रेवले मशीनरी और कलपुर्जे, आलू के बीज और बीज प्रजनन, जमे हुए भोजन चालव, कपड़ा, मिठाई और खाने के लिए तैयार भोजन, आलू
454.		लुधियाना	रेडीमेट गारमेंट्स, यार्न, साइकिल पार्ट्स, ऑटो पार्ट्स, चावल, एक्वापोनिक्स
455.		मानसा	सूती धागे, कृषि उपकरण
456.		मोगा	गेहूं , चावल

457.		पठानकोट	चावल, लीची
458.		पटियाला	सूती धागा, फुलकारी, पंजाबी जूती, परांदा, हार्वेस्टिंग कंबाइन/ट्रैक्टर और काटने के उपकरण, कपड़ा
459.		रूपनगर	फार्मास्युटिकलस
460.		साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर/मोहाली	फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा
461.		संगरुर	सूती धागा, गेहूं
462.		नवाशहर (शहीद भगत सिंह नगर)	दालें, चावल, आलू
463.		मुक्तसर	कागज, पंजाबी कुर्ता, पायजामा
464.		तरनतारन	बैग, मसाले, वस्त्र, संगमरमर और कृषि उत्पाद
465.	**राजस्थान**	अजमेर	बैग, मसाले, वस्त्र, संगमरमर और कृषि उत्पाद
466.		अलवेर	इंजीनियरिंग उत्पाद
467.		बांसवाड़ा	सिंथेटिक यार्न, फैब्रिक, मार्बल टाइलें
468.		बरनी	सोयाबीन और अन्य कृषि उत्पाद
469.		बाड़मेर	इसबगोल, ग्वार गम
470.		भरतपुर	कृषि उत्पाद और सेवा निर्यात
471.		भीलवाड़ा	कपड़ा और डेनिम
472.		बीकानेर	ऊन, खाद्य उत्पाद, क्रिमिक्स, बीकानेरी भुजिया
473.		बूंदी	चावल
474.		चित्तौड़गढ़	संगमरमर, ग्रेनाइट और पर्यटन
475.		चुरू	ग्वार गम, लकड़ी के उत्पाद
476.		दौसा	पत्थर के लेख और दरी
477.		धौलपुर	स्किम्ड मिल्क पाउडर, स्टोन टाइलें और स्लैब
478.		धुंगरपुर	ग्रीन मार्बल स्लैब और टाइलें
479.		हनुमानगढ़	पर्यटन
480.		जयपुर	रत्न और आभूषण, वस्त्र, फर्नीचर, सेवा निर्यात और अन्य, खिलौने, जयपुर की नीली मिट्टी के बर्तन
481.		जैसलमेर	अप्लीक वर्क, मार्बल एंड सर्विसेज, इसबगोल, ग्वार गम, हैंडीक्राफ्ट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट्स
482.		जालौर	मसाले, ग्रेनाइट और डेयरी उत्पाद, मोज़ारी जूतियां
483.		झालावाडी	सैंड स्टोन, मिश्रित आइटम, संतरे
484.		झुंझुनूं	लकड़ी और पत्थर आधारित आइटम
485.		जोधपुर	इसबगोल, ग्वार गम, फर्नीचर उत्पाद, पाउडर, हस्तशिल्प, स्टेनलेस स्टील शीट / बर्तन
486.		करौली	सैंड स्टोन लेख, सिलिका और पाउडर, लाख की चूड़ियाँ
487.		कोटा	रसायन और उर्वरक, खनिज, कोटा डोरिया
488.		नागौर	इसबगोल, मसाला प्रसंस्करण, हैंडटूल और ऊनी कालीन, मकराना मार्बल
489.		पाली	सीमेंट, मेहंदी, ग्वार गुम, वस्त्र
490.		प्रतापगढ़	पर्यटन, थेवा कला, लहसुन
491.		राजसमंद	तेरा कोटा, संगमरमर का सजावटी वस्तुएं
492.		सीकर	एंटीक फर्नीचर, सिंथोटिक ब्लेंडड यार्न
493.		सिरोही	पत्थर की नक्काशी, टाइलें, साइलियम हस्क
494.		श्री गंगानगर	गोंद पाउडर, कीनू
495.		सवाई माधोपुर	पर्यटन
496.		टोंक	पत्थर की टाइलें और रेत पत्थर की टाइलें
497.		उदयपुर	संगमरमर, खनिज और सेवा निर्यात
498.	**सिक्किम**	उत्तरी सिक्किम	पर्यटन, सिक्किम बड़ी इलायची

499.		पूर्वी सिक्किम	पर्यटन और आईटी/आईटीईएस, लाल मिर्च
500.		पश्चिम सिक्किम	सिक्किम बड़ी इलायची, न्यूनतम प्रसंस्कृत सब्जियां
501.		दक्षिण सिक्किम	सिक्किम बड़ी इलायची, चाय, अदरक
502.	**तमिलनाडु**	अरियालुर	रेडीमेड गारमेंट्स, नालीदार चादरें और बक्से, काजू
503.		चेंगलपट्टू	चमड़े के सामान और वस्त्र, झींगा, ऑटोमोबाइल उत्पाद, ग्रेनाइट
504.		चेन्नई	जैव प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण, समुद्री उत्पाद, आभूषण उत्पाद, परिधान, सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर सेवाएं
505.		कोयंबटूर (पोलाची)	इंजीनियरिंग उत्पाद जैसे फाउंड्री, मोटर्स और पंप, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स, आयरन कास्टिंग्स, एल्युमिनियम कास्टिंग्स, वेट ग्राइंडर और घरेलू उपकरण, कपड़ा जैसे यार्न और फैब्रिक, पोल्ट्री उत्पाद, सब्जियां, नारियल और कॉयर उत्पाद, कोवई कोरा कॉटन साड़ी, कोयंबटूर वैट चक्की (केला)
506.		कुड्डालोर	रासायनिक, समुद्री, काजू, कृषि उत्पाद
507.		धर्मपुरी	ऑटो घटक, इंजीनियरिंग, बागवानी, कृषि उत्पाद, प्लास्टिक
508.		डिंडीगुल	ईस्ट इंडिया लेदर, टेक्सटाइल, डिंडीगुल लॉक्स, सिरुमलाई हिल केला, विरुपाक्षी हिल केला, कोडाईकनाल मलाई पुंडक्ट्स
509.		इरोड	हथकरघा और पावरलूम उत्पाद, प्रसंस्कृत कपड़े, अंडे का पाउडर, मोटर वाहन के पुर्जे, कृषि उत्पाद जैसे टैपिओका और स्टार्च, पोल्ट्री उत्पाद और अंडे, इरोड मंजल (इरोड हल्दी)
510.		कल्लाकुरिची	खाद्य उत्पाद – चावल, साबूदाना, हल्दी, कृषि आधारित उत्पाद – गुड़ पाउडर, पशु चारा – ब्रिकेट
511.		कांचीपुरम	इंजीनियरिंग और ऑटो कंपोनेंट्स, सिल्क वीविंग, टेक्सटाइल गारमेंट्स, सॉफ्टवेयर, फूड प्रोसेसिंग, टूरिज्म – हेरिटेज एंड मेडिकल, कांचीपुरम सिल्क
512.		कन्याकूमारी	काजू, मछली के जाल, समुद्र के गोले, नागरकोइल के मंदिर के आभूषण, एथोमोझी लंबा नारियल
513.		करूर	होम टेक्सटाइल्स जैसे बेडशीट, प्लेसमेट्स, टेबल रनर, पर्दे, आदि, एचडीपीई उत्पाद, रूबी और बौरिल जैसे रत्न
514.		कृष्णागिरी	इंजीनियरिंग, खाद्य प्रसंस्करण (मैंगो पल्प), कट फ्लावर, हीरे के आभूषण।
515.		मदुरै	हथकरघा, ग्रेनाइट उत्पाद, रेडीमेड गारमेंट्स, मदुरै सुंगुडी, मदुरै मल्ली, जैस्मीन
516.		माइलादुत्रयी	कृषि उत्पाद (नारियल, आम का गूदा, जूट आदि)
517.		नागपट्टिनम	कृषि खाद्य प्रसंस्करण, समुद्री खाद्य प्रसंस्करण, कृत्रिम आभूषण, जूट
518.		नमक्कली	कुक्कुट उत्पाद जैसे हैचिंग एग, पेरेंट एग, ब्रायलर मुर्गियां, टेबल एग आदि, कच्चे ग्रेनाइट, यार्न, सूती कपड़े, तौलिए, बेड स्प्रेड और रिग।
519.		पेरम्बलुर	कृषि उत्पाद, काजू
520.		पुदुक्कोट्टई	कृषि खाद्य प्रसंस्करण, समुद्री खाद्य प्रसंस्करण, ग्रेनाइट, जूट, इंजीनियरिंग, काजू
521.		रमनथा पुरम	सूखी मछली
522.		रानीपेट	चमड़ा उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल घटक, इंजीनियरिंग उत्पाद
523.		सेलम	इंजीनियरिंग, खाद्य प्रसंस्करण (मैंगो पल्प), कटे हुए फूल, डायमंड ज्वैलरी, पोल्ट्री उत्पाद और अंडे, सेलम फैब्रिक, सेलम सिल्क जिसे सलेम वेनपट्टू के नाम से जाना जाता है,
524.		शिवगंगा	घेरजब्स (लघु ककड़ी), छेतुबाद जिताब
525.		त्नकासी	कॉयर पिथ ब्लॉक

526.		तंजावुर	हस्तशिल्प, जूट उद्योग, कृषि उत्पाद, रेशम, पीतल निर्माण उद्योग, तंजावुर पेंटिंग, तंजावुर आर्ट प्लेट, तंजावुर गुड़िया, तंजावुर वीनाई, तंजावुर पिथ वर्क्स, स्वामीमलाई कांस्य मूर्तिया
527.		थेनी	केला, मसाले, मेड अप्स
528.		नीलगिरी	बागवानी फसलें जैसे आलू, पत्ता गोभी, गाजर, चाय, कॉफी, अदरक, फल, इमारती लकड़ी, नीलगिरी का तेल, लहसुन और काली मिर्च, फूलों की खेती के उत्पाद जैसे कटे हुए फूल जैसे लिलियम, कार्नेशन, जरबेरा, आदि, टोडा शॉल, घर में बनी चॉकलेट वर्की, ऊटी वर्की नीलगिरी (प्राचीन) लोगो
529.		तिरुवल्लुर	गारमेंट्स, इंजीनियरिंग– टूल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स
530.		तिरूवारूर	जूट उद्योग, कृषि उत्पाद, समुद्री उत्पाद
531.		तिरुचिरापल्ली	कृषि खाद्य प्रसंस्करण, भारी विद्युत और इंजीनियरिंग, रक्षा उपकरण, कृत्रिम आभूषण, पवनचक्की घटक, केला
532.		तिरुनेलवेली	यार्न, तिरुनेलवेली हलवा, पट्टामदई पाई, निर्मित परिधान
533.		तिरूपत्तुर	चमड़ा उत्पाद, जूट उत्पाद, चंदन उत्पाद
534.		तिरुपुर	होजरी गारमेंट्स और परिधान
535.		तिरुवन्नामलाई	रेशम, विनिर्माण उत्पाद, ऑटोमोबाइल उत्पाद
536.		टूथुकुडी (तूतीकोरिन)	समुद्री उत्पाद
537.		वेल्लोर	चमड़ा उद्योग, रेडीमेड वस्त्र, रसायन,
538.		विल्लुपुरम	कृषि उत्पाद, समुद्री उत्पाद
539.		विरुधुनगर	मसाले, सूत, जूट पिठ, पटाखे, सुरक्षा माचिस, मुद्रित पुस्तकें, ग्रे कपड़ा, जालीदार कपड़ा
540.	**तेलंगाना**	आदिलाबाद	निर्मल खिलौने, पेंटिंग और फर्नीचर, कपास की गांठें, आदिलाबाद डोकरा, रूई की ओटाई
541.		भद्राद्री–कोथागुडेम	गौण वन, उपज, स्पंज आयरन
542.		हैदराबाद	रत्न और आभूषण / मोती
543.		जगित्याल	आम, हल्दी, चावल, सोने के आभूषण
544.		जनगांव	चावल, पीतल की कलाकृतियां, पेंब्बर्थी धातु शिल्प
545.		जयशंकर–भुपलपल्ली	मिर्च, कोष्ठशिल्प
546.		जोगुलम्बा गडवाल	हेण्डलूम टेक्सटाईलून (साड़ी)
547.		कामारेड्डी	पोल्ट्री, पाम ऑयल
548.		करीमनगर	चावल, करीमनगर की सिल्वर फिलाग्री, ग्रेनाइट
549.		खम्मम	आम, मिर्च, ग्रेनाइट, कोयले की खान
550.		कोमारेम भीम असीफाबाद	कपास, बाजरा
551.		महबुबाबाद	आम, मिर्च, हल्दी
552.		मंचेरियल	आम, कपास
553.		महबूबनगर	आम, ज्वार, सामान्य इंजीनियरिंग, फेब्रिकेशन, खनिज
554.		मेडक	दुबक्का फेब्रिक्स एवं टेक्सटाईल्स, पाल्ट्री फीड
555.		मेडचल	जैब प्रौद्योगिकी उत्पाद
556.		मुलुगु	मिर्च
557.		नगरकुरनूल	आम, मूंगफली, रेडीमेड गारमेंट्स
558.		नलगोंडा	चावल, कपास
559.		निर्मल	हल्दी निर्मल टॉयज, निर्मल फर्नीचर, निर्मल पेंटिंग्स
560.		नारायणपेट	सूती वस्त्र / साड़ी
561.		निजामाबाद	हल्दी, चावल, बीज, चीनी
562.		पेद्दापल्ली	लकड़ी का फर्नीचर, जैव ईंधन
563.		रंगारेड्डी	आम, बिस्कुट प्रसंस्कृत भोजन
564.		राजन्ना सिरसिला	हथकरघा, कपड़ा
565.		संगारेड्डी	आम, सामान्य इंजीनियरिंग उत्पाद, बीज

566.		सिद्दीपेट	रूई की ओटाई
567.		सूर्यपेट	फल, सीमेंट
568.		विकाराबाद	रेडग्राम, जरी साड़ी, कढ़ाई वस्त्र
569.		वानापर्थी	आम, मूंगफली
570.		वारंगल ग्रामीण	वस्त्र, आम, वारंगल दरियां, चावल, मक्का, वस्त्र
571.		वारंगल शहरी	वस्त्र, आम, वारंगल दरियां, चावल, मक्का, वस्त्र
572.		यादद्रि–भावनगिरी	हेन्डलूम, वस्त्र, धार्मिक पर्यटन
573.	**त्रिपुरा**	धलाई	त्रिपुरा क्वीन अनानास
574.		गोमती	बास, धार्मिक पर्यटन
575.		उत्तर त्रिपुरा	त्रिपुरा क्वीन अनानास, अगर ऑयल
576.		सेपाहीजाला	त्रिपुरा क्वीन अनानास
577.		दक्षिण त्रिपुरा	खाद्य प्रसंस्करण
578.		उनाकोटी	पर्यटन
579.		पश्चिम त्रिपुरा	बांस फर्नीचर, अगरबत्ती, रबड़
580.	**उत्तर प्रदेश**	आगरा	चमड़ा उत्पाद (जूते), आलू, पत्थर हस्तशिल्प, आगरा दरी, पर्यटन, कालीन/दरी, मांस प्रसंस्करण, प्लास्टिक और शल्य चिकित्सा के सामान
581.		अलीगढ़	ताला और हार्डवेयर, भैंस का मांस, हस्तशिल्प वस्तु
582.		अम्बेडकर नगर	कपड़ा उत्पाद, चावल
583.		अमेठी	मूंज, चमड़ा उत्पाद, चावल
584.		औरैया	देसी घी (खाद्य उत्पाद), चावल
585.		फैजाबाद (अयोध्या)	धार्मिक पर्यटन और रेडीमेड गारमेंट्स, पेपर आइटम (ग्लास आइटम), गुड़
586.		आजमगढ़	काली मिट्टी के बर्तन, कपड़ा
587.		बदायूं	जरी और जरदोजी, मेंथा तेल और संबद्ध उत्पाद
588.		बागपत	होम फर्निशिंग, पर्दे, बेडशीट, पिलो कवर्स, दरी
589.		बहराइच	व्होट स्टालक, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण / चावल
590.		बलिया	खाद्य प्रसंस्करण, बिंदी (टिकुली)
591.		बलरामपुर	दालें, कृषि आधारित उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण
592.		बांदा	शाजर स्टोन क्राफ्ट्स/होजरी गुड्स
593.		बाराबंकी	कपड़ा उत्पाद और मेंथा क्रिस्टल और फ्लेक्स, जमे हुए मांस, जैविक खाद्य और हर्बल उत्पाद, कृषि खाद्य उत्पाद
594.		बरेली	जरी और जरदोजी, मांस, चावल और मेंथा तेल
595.		बस्ती	लकड़ी के शिल्प, चावल
596.		भदोही (संत रविदास नगर)	हाथ से बना कालीन
597.		बिजनौर	लकड़ी शिल्प, पीतल एल्यूमीनियम, लौह इस्पात, हस्तशिल्प
598.		बुलंदशहरी	सिरेमिक उत्पाद, खुर्जा मिट्टी के बर्तन, स्टील पाइप, रसायन, मांस और चावल
599.		चंदौली	प्लास्टिक उत्पाद (एफआईबीसी/प्लास्टिक बुने हुए बोरे/अन्य प्लास्टिक उत्पाद), जरी जरदोजी, चावल, इलेक्ट्रिकल्स, फल
600.		चित्रकूट	लकड़ी के खिलौने, धार्मिक पर्यटन
601.		देवरिया	सजावटी हस्तशिल्प/वस्त्र
602.		एटा	एंकल बैल्स (घुंघरू) घंटी और पीतल के उत्पाद / चिकोरी रोस्टेड
603.		इटावा	कपड़ा उत्पाद (बेडस्प्रेड, टेबल कवर, पर्दे) और चावल
604.		फरुखाबाद	टेक्सटाइल प्रिंटिंग, आलू, फर्रुखाबाद प्रिंट्स, टेक्सटाइल पेंटिंग, चावल
605.		फतेहपुर	चादरें, लोहे का निर्माण कार्य, चावल

606.		फिरोजाबाद	फिरोजाबाद कांच, कांच के बने पदार्थ, सजावटी कांच के सामान, थर्मस फ्लास्क
607.		गौतमबुद्धनगर	रेडीमेड गारमेंट्स, बासमती चावल, मांस, इलेक्ट्रॉनिक सामान, इंजीनियरिंग सामान, सेवा निर्यात
608.		गाज़ियाबाद	इंजीनियरिंग सामान, चीनी, मशीनरी पाट्र्स और ऑटो पाट्र्स, पिस्टन और रिंग्स, कपड़ा और घरेलू सामान, इलेक्ट्रॉनिक और बिजली के सामान, मांस, इंजीनियरिंग सामान
609.		गाजीपुर	गाजीपुर जूट वॉल हैंगिंग, हरी मिर्च, हरी मटर, चावल
610.		गोंडा	दालें, कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण,
611.		गोरखपुर	गोरखपुर टेरीकॉट, कपड़ा वस्त्र, काला नमक, चावल
612.		हमीरपुर	जूते
613.		हापुड़ (पंचशील नगर)	होम फर्निशिंग, पेपर कोन, वुडन फर्नीचर, बेडशीट, चावल,
614.		हरदोई	हथकरघा, कीटनाशक, चावल
615.		हाथरस (महामाया नगर)	हीग (हींग), हार्डवेयर, कॉटन बाथ मेट्स, ड्रेइज़, बिल्डर्स, हैंडल, मेटल हैंडीक्राफ्ट, चावल
616.		जालौन	हस्तनिर्मित कागज कला, मेंथा तेल
617.		जौनपुर	दरी
618.		झाँसी	सॉफ्ट टॉयज, इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मर /, फूड प्रोसेसिंग, टेक्स्टबुक्स, टूरिज्म, फ्लोर मिल और मशीनरी के पाट्र्स (फ्लोर मिल स्टोन्स), एल्युमिनियम लेबल्स
619.		अमरोहा (ज्योतिबा फुले नगर)	संगीत वाद्ययंत्र, पीतल एल्यूमीनियम, लौह इस्पात, हस्तशिल्प आइटम, लकड़ी के सामान, निर्मित परिधार
620.		कन्नौज	कन्नौज इत्र, परफ्यूम (इत्र) और संबद्ध उद्योग और आवश्यक तेल निष्कर्षण
621.		कानपूर देहात	चमड़ा, काठी, प्लास्टिक उत्पाद,
622.		कानपुर नगर	चमड़ा उत्पाद, जूते, काठी का सामान, इंजीनियरिंग सामान, प्लास्टिक उत्पाद, कपड़ा
623.		काशीराम नगर (कासगंज)	जरी जरदोजी, मिल्क पाउडर, कपूर
624.		कौशाम्बी	खाद्य प्रसंस्करण, केला और पर्यटन
625.		कुशी नगर	चीनी, पर्यटन सहित कृषि आधारित उत्पाद
626.		लखिम पुर खेरी	प्लाईवुड, आदिवासी शिल्प
627.		ललितपुर	जरी सिल्क साड़ी और ग्रेनाइट स्लैब
628.		लखनऊ	लखनऊ चिकन क्राफ्ट, मलिहाबादी, आम दशहरी, लखनऊ जरी–जरदोजी, आम, मांस
629.		महराजगंज	फर्नीचर और चावल
630.		महोबा	गौरा स्टोन क्राफ्ट
631.		मैनपुरी	तारकशी कला (हस्तशिल्प), चावल
632.		मथुरा	डेयरी उत्पाद, धार्मिक पर्यटन, सेनेटरी फिटिंग, ठाकुर जी पोशाक
633.		मऊ	पावरलूम टेक्सटाइल्स
634.		मेरठ	खेल के सामान, आम, मेरठ कैंची, सी–मांस, क्रिकेट के लिए सुरक्षात्मक उपकरण
635.		मिर्जापुर	मिर्जापुर हस्तनिर्मित कालीन
636.		मुरादाबाद	मुरादाबाद धातु शिल्प, मेंथा उत्पाद, चावल
637.		मुजफ्फरनगर	गुड़, तिल, मांस
638.		पीलीभीत	दारी, चावल, बांसुरी
639.		प्रतापगढ़	आंवला उत्पाद, चावल, मूंज उत्पाद
640.		इलाहबाद (प्रयाग राज)	धार्मिक पर्यटन, कालीन और कृषि प्रसंस्करण खाद्य, अचार और जैम, चावल

641.		राय बरेली	लकड़ी का काम, इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, एल्यूमिनियम कास्टिंग
642.		रामपुर	एप्लीक कार्य, पैचवर्क, मेंथा उत्पाद, मांस
643.		सहारनपुर	आम, सहारनपुर वुडक्राफ्ट, हर्बल उत्पाद, हौजरी उत्पाद, फ्रोजन मीट
644.		संभल (भीम नगर)	हॉर्न बोन हैंडीक्राफ्ट और मेंथा ऑयल
645.		संत कबीर नगर	होजरी उत्पाद, पीतल के बर्तन
646.		शाहजहांपुर	जरी और जरदोजी, चावल, सर्जिकल उपकरण और प्लाईवुड
647.		शामली (प्रबुद्ध नगर)	लौह शिल्प
648.		श्रावस्ती	चावल, पर्यटन, आदिवासी शिल्प
649.		सिद्धार्थ नगर	चावल (काला नमक)
650.		सीतापुर	कालीन और दरी, चावल,
651.		सोनभद्र	एल्यूमिनियम उत्पाद, कालीन
652.		सुल्तानपुर	चवल, मूंज उत्पाद
653.		उन्नाव	चमड़े की वस्तुएं, जरी जरदोजी, प्रसंस्कृत मांस
654.		वाराणसी	रेशम उत्पाद, पर्यटन, ताजी सब्जियां (भिंडी और हरी मिर्च), बनारस ब्रोकेड और साड़ी, बनारस गुलाबी मीनाकारी शिल्प, वाराणसी वुडन लाख के बर्तन और खिलौने, बनारस मेटल रिपोज क्राफ्ट, वाराणसी ग्लास बीड्स, वाराणसी सॉफ्ट स्टोन जाली वर्क
655.	**उत्तराखंड**	अल्मोड़ा	पर्यटन, हथकरघा, हस्तशिल्प
656.		बागेश्वर	पर्यटन
657.		चमोली	पर्यटन
658.		चम्पावत	पर्यटन
659.		देहरादून	फार्मा, बासमती चावल, पर्यटन
660.		हरिद्वार	पर्यटन, कृषि उत्पाद
661.		नैनीताल	सुगंधित मोमबत्ती, पर्यटन
662.		पौड़ी गढ़वाल	पर्यटन
663.		पिथौरागढ़	पर्यटन
664.		रुद्रप्रयाग	पर्यटन
665.		टिहरी गढ़वाल	पर्यटन
666.		उधम सिंह नगर	ऑटोमोबाइल उद्योग, चावल, लीची
667.		उत्तरकाशी	पर्यटन
668.	**पश्चिम बंगाल**	अलीपुरद्वार	लकड़ी के उत्पाद
669.		बांकुरा	बांकुरा पंचमुरा टेराकॉट शिल्प, बंगाल पटचित्र
670.		बीरभूम	कृषि सामान (धान)
671.		दक्षिण 24 परगना	चमड़ा, वस्त्र, शहद, जॉयनगर मोआ, बंगाल पटचित्र
672.		कूच बिहार	अनानास
673.		दार्जलिंग	दार्जलिंग चाय, पर्यटन
674.		दक्षिण दिनाजपुर	अनानास
675.		हुगली	कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, जूट
676.		हावड़ा	इंजीनियरिंग और फाउंड्री, जूट, रत्न और आभूषण, फोर्जिंग उद्योग, कपड़ा
677.		जलपाईगुड़ी	चाय, रसद, अनानास
678.		झारग्राम	चाय, पर्यटन
679.		कालिम्पोंग	इंजीनियरिंग, चमड़ा, आईटी/आईटीईएस
680.		कोलकाता	लीची, मालदा लक्ष्मण भोग आम, मालदा खिरसापति (हिमसागर)

			आम, मालदा फाजली आम
681.		मालदा	कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, लीची, आम
682.		मुर्शिदाबाद	रत्न और आभूषण
683.		नाडिया	चमड़ा, जूट, इंजीनियरिंग सामान, खाद्य और पेय पदार्थ
684.		उत्तर 24 परगना	चावल, मदुर काठी
685.		पश्चिम मेदिनीपुर (पश्चिम मेदिनीपुर)	चावल, बर्धमान सीताभोग, बर्धमान मिहिदान
686.		पश्चिम (पश्चिम) बर्धमान (बर्धमान)	चावल, बर्धमान सीताभोग, बर्धमान मिहिदान
687.		पुरबा बर्धमान (बर्धमान)	खाद्य प्रसंस्करण, पेट्रोरसायन
688.		पूरबा मेदिनीपुर (पूर्व मेदिनीपुर)	शैलैक, पीतल, और बेल धातु, पुरुलिया चाऊ मास्क
689.		पुरुलिया	लकड़ी का सामान
690.		उत्तर दिनाजपुर (उत्तर दिनाजपुर)	अनानास
691.	**अंडमान और निकोबार द्वीप समूह**	निकोबार	टूना, नारियल और नारियल आधारित उत्पादों, पर्यटन, आईटी सेवाओं पर जोर देने वाले समुद्री उत्पाद
692.		उत्तर और मध्य अंडमान	टूना, नारियल और नारियल आधारित उत्पादों, पर्यटन, आईटी सेवाएं पर जोर देने वाले समुद्री उत्पाद
693.		दक्षिण अंडमान	टूना, नारियल और नारियल आधारित उत्पादों, पर्यटन, आईटी सेवाएं पर जोर देने वाले समुद्री उत्पाद
694.	**चंडीगढ़**	चंडीगढ़	फुलकारी, पर्यटन, सॉफ्टवेयर सेवाएं, शैक्षिक सेवाएं
695.	**दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली**	दादरा और नगर हवेली	यार्न, कपड़े, फार्मास्यूटिकल्स, केबल्स, रबड़, प्लास्टिक उत्पाद, रेडीमेड वस्त्र, इंजीनियरिंग उत्पाद
696.		दमन	घरेलू सामान, प्लास्टिक उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, केबल्स, मत्स्य पालन, रेडीमेड वस्त्र, इंजीनियरिंग उत्पाद
697.		दीव	मत्स्य पालन, रेडीमेड वस्त्र, इंजीनियरिंग उत्पाद, प्लास्टिक उत्पाद
698.	**दिल्ली**	दक्षिण दिल्ली	विद्युत उपकरण सेवा, रेडीमेड गारमेंट्स, दूरसंचार
699.		केंद्रीय	विद्युत उपकरण सेवा, रेडीमेड गारमेंट्स, दूरसंचार
700.		उत्तर	विद्युत उपकरण सेवा, रेडीमेड गारमेंट्स, दूरसंचार
701.		दक्षिण	विद्युत उपकरण सेवा, रेडीमेड गारमेंट्स, दूरसंचार
702.		पूर्वोत्तर	विद्युत उपकरण सेवा, रेडीमेड गारमेंट्स, दूरसंचार
703.		पश्चिम	विद्युत उपकरण सेवा, रेडीमेड गारमेंट्स, दूरसंचार
704.		शाहदरा	विद्युत उपकरण सेवा, रेडीमेड गारमेंट्स, दूरसंचार
705.		पूर्व	विद्युत उपकरण सेवा, रेडीमेड गारमेंट्स, दूरसंचार
706.		नई दिल्ली	विद्युत उपकरण सेवा, रेडीमेड गारमेंट्स, दूरसंचार
707.		उत्तर पश्चिम	विद्युत उपकरण सेवा, रेडीमेड गारमेंट्स, दूरसंचार
708.		दक्षिण पश्चिम	विद्युत उपकरण सेवा, रेडीमेड गारमेंट्स, दूरसंचार
709.	**जम्मू और कश्मीर**	अनंतनाग	हस्तशिल्प, क्रिकेट चमगादड़, अखरोट, सेब, खुबानी, मुशकबुदजी, शहद, मिर्च
710.		बांदीपुरा	हस्तशिल्प, सेब, काला जीरा, प्रसंस्कृत ट्राउट मछली, क्रेवेल कढ़ाई, शहद
711.		बारामूला	सेब, अखरोट, डिब्बाबंद चेरी, शहद, सुगंधित चावल, लाल चावल
712.		बडगाम	हस्तशिल्प, सूखे मेवे, कश्मीर केसर, कनी शॉल, कश्मीरी सैंडी नाशपाती, क्रूवेल, सोजनी वर्क, जैविक सब्जियां, शहद, अखरोट की गिरी
713.		डोडा	पर्यटन
714.		गांदरबल	सेब, हस्तशिल्प, पर्यटन, विलो विकर और कनी शॉल

715.		जम्मू	खुबानी, अखरोट, क्रिकेट बल्ले
716.		कठुआ	अखरोट
717.		किश्तवाड़	कश्मीर केसर
718.		कुलगाम	सेब, अखरोट, पर्यटन, जैविक सब्जियां, लहसुन, कश्मीरी लाल मिर्च, चावल, भेड़ की ऊन, मटन, डेयरी उत्पाद, क्रू कढ़ाई, सोजनीम्ब्रायडरी, मछली, शहद, मिनरल वॉटर
719.		कुपवाड़ा	अखरोट और सेब, लाल चावल, संगमरमर
720.		पूंछ	पर्यटन
721.		पुलवामा	पेंसिल, कश्मीर केसर, सेब
722.		राजौरी	पर्यटन
723.		रामबन	पर्यटन
724.		रियासी	पर्यटन, जैविक सब्जियां
725.		सांबा	पर्यटन
726.		शोपियां	सेब
727.		श्रीनगर	कश्मीरी विलो (खेल के सामान), हस्तशिल्प उत्पाद, चमड़े का सामान, सेब, कश्मीर केसर, पर्यटन, कश्मीर पेपर माची, कश्मीर अखरोट की लकड़ी की नक्काशी, कश्मीर पश्मीना, कश्मीरी हाथ से बुना हुआ कालीन, कश्मीर सोजानी शिल्प
728.		उधमपुर	सेब, नाशपाती, अखरोट
729.	**लद्दाख**	कारगिल	पश्मीना शॉल, कश्मीर पश्मीना, समुद्री हिरन का सींग, खुबानी, कश्मीरी ऊन, पर्यटन,
730.		लेह	पश्मीना शॉल, कश्मीर पश्मीना, समुद्री हिरन का सींग, खुबानी
731.	**लक्षद्वीप**	लक्षद्वीप	मछली, खोपरा
732.	**पुदुचेरी**	पुदुचेरी	टेराकोटा उत्पाद, पेपर माची क्राफ्ट, नकली आभूषण, सुगंध और इत्र से संबंधित उत्पाद, अगरबत्ती, बहु उपयोग प्लास्टिक के घटक / उत्पाद, चावल और खाद्य उत्पाद, समुद्री उत्पाद, हर्बल, साग और खराब होने वाले उत्पाद, कॉयर उत्पाद, सामान्य इंजीनियरिंग घटक, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, रसायन (जिंक ऑक्साइड), प्लास्टिक (ओवेन बैग), परिष्कृत सीसा उत्पाद और हस्तशिल्प
733.		कराईकल	समुद्री उत्पाद, कृषि, पर्यटन, रसायन (हाइड्रोजन, तरल क्लोरीन, कास्टिक सोडा, एचसीएल, पौटाशियम क्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम सिलिकेट), धागा

यह 16.03.2022 को उत्तर के लिए लोकसभा प्रश्न संख्या 2363 के संदर्भ में है।

छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में जिले के लिए निर्यात आंकड़े

2021–22 (अप्रैल 2021 से जनवरी, 2022) के आंकड़े अनंतिम हैं और परिवर्तन के अधीन हैं

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिला	प्रमुख वस्तु समूह	2021–22 (अप्रैल–जनवरी) के लिए मूल्य अमेरिकी डॉलर में
छत्तीसगढ़	बिलासपुर	चावल	10604267
छत्तीसगढ़	बिलासपुर	मसाले	12727
छत्तीसगढ़	बिलासपुर	खली	852266
छत्तीसगढ़	बिलासपुर	फल और सब्जियां	14997
छत्तीसगढ़	बिलासपुर	अभ्रक, कोयला और अन्य अयस्क, प्रसंस्करण सहित खनिज	2376
छत्तीसगढ़	बिलासपुर	सिरेमिक उत्पाद और कांच के बने पदार्थ	331960
छत्तीसगढ़	बिलासपुर	ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स	12835
छत्तीसगढ़	बिलासपुर	कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन	602742
छत्तीसगढ़	बिलासपुर	इंजीनियरिंग सामान	10449042
छत्तीसगढ़	बिलासपुर	इलेक्ट्रॉनिक सामान	249864
छत्तीसगढ़	बिलासपुर	प्लास्टिक और लिनोलियम	5083357
छत्तीसगढ़	बिलासपुर	अन्य	15845
छत्तीसगढ़	मुंगेली	चावल	316295
छत्तीसगढ़	मुंगेली	मसाले	624
छत्तीसगढ़	मुंगेली	चमड़ा और चमड़ा विनिर्मिति	188
छत्तीसगढ़	मुंगेली	ड्रग्स और फार्मास्युटिकल्स	1
छत्तीसगढ़	मुंगेली	इंजीनियरिंग सामान	40423
छत्तीसगढ़	मुंगेली	इलेक्ट्रॉनिक सामान	231
छत्तीसगढ़	गौरेला–पेंड्रा–मरवाही	उपलब्ध नहीं	
महाराष्ट्र	लातूर	मसाले	35897
महाराष्ट्र	लातूर	खली	839621
महाराष्ट्र	लातूर	तिलहन	275240
महाराष्ट्र	लातूर	फल और सब्जियां	822914
महाराष्ट्र	लातूर	अनाज से बने पदार्थ और विविध प्रसंस्कृत मदें	23161
महाराष्ट्र	लातूर	रत्न और आभूषण	4195
महाराष्ट्र	लातूर	ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स	435
महाराष्ट्र	लातूर	कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन	1827604
महाराष्ट्र	लातूर	इंजीनियरिंग सामान	50949
महाराष्ट्र	लातूर	इलेक्ट्रॉनिक सामान	1870
महाराष्ट्र	लातूर	प्लास्टिक और लिनोलियम	29239
महाराष्ट्र	लातूर	अन्य	53683631
महाराष्ट्र	सतारा	चाय	527
महाराष्ट्र	सतारा	चावल	214707
महाराष्ट्र	सतारा	अन्य अनाज	12
महाराष्ट्र	सतारा	मसाले	5018385
महाराष्ट्र	सतारा	तिलहन	1598
महाराष्ट्र	सतारा	फल और सब्जियां	17574536

महाराष्ट्र	सतारा	अनाज विनिर्मिति और विविध संसाधित मदें	2882820
महाराष्ट्र	सतारा	मांस, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद	52326288
महाराष्ट्र	सतारा	अभ्रक, कोयला और अन्य अयस्क, प्रसंस्करण सहित खनिज	366422
महाराष्ट्र	सतारा	चमड़ा और चमड़ा विनिर्माण	1963
महाराष्ट्र	सतारा	सिरेमिक उत्पाद और कांच के बने पदार्थ	850788
महाराष्ट्र	सतारा	रत्न और आभूषण	5121741
महाराष्ट्र	सतारा	ड्रग्स और फार्मास्युटिकल्स	25067792
महाराष्ट्र	सतारा	कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन	13701055
महाराष्ट्र	सतारा	इंजीनियरिंग सामान	782559843
महाराष्ट्र	सतारा	इलेक्ट्रॉनिक सामान	7847459
महाराष्ट्र	सतारा	कॉटन यार्न / फैब्स / मेडअप्स, हथकरघा उत्पाद आदि।	10045624
महाराष्ट्र	सतारा	मानव निर्मित सूत / फैब्स / मेडअप्स आदि।	4043614
महाराष्ट्र	सतारा	सभी वस्त्रों का रेडिमेड गारमेंटस	1703
महाराष्ट्र	सतारा	हस्तशिल्प हाथ से बने कालीन को छोड़कर	470391
महाराष्ट्र	सतारा	पेट्रोलियम उत्पाद	16731
महाराष्ट्र	सतारा	प्लास्टिक और लिनोलियम	33113173
महाराष्ट्र	सतारा	अन्य	239799314
महाराष्ट्र	सोलापुर	चाय	19375
महाराष्ट्र	सोलापुर	चावल	37943
महाराष्ट्र	सोलापुर	अन्य अनाज	595668
महाराष्ट्र	सोलापुर	तम्बाकू	310224
महाराष्ट्र	सोलापुर	मसाले	68158
महाराष्ट्र	सोलापुर	खली	9617171
महाराष्ट्र	सोलापुर	तिलहन	227934
महाराष्ट्र	सोलापुर	फल और सब्जियां	33589773
महाराष्ट्र	सोलापुर	अनाज विनिर्मिति और विविध संसाधित मदें	1027957
महाराष्ट्र	सोलापुर	सिरेमिक उत्पाद और कांच के बने पदार्थ	1291
महाराष्ट्र	सोलापुर	रत्न और आभूषण	43434
महाराष्ट्र	सोलापुर	ड्रग्स और फार्मास्युटिकल्स	13055477
महाराष्ट्र	सोलापुर	कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन	75250583
महाराष्ट्र	सोलापुर	इंजीनियरिंग सामान	57914583
महाराष्ट्र	सोलापुर	इलेक्ट्रॉनिक सामान	202135
महाराष्ट्र	सोलापुर	कॉटन यार्न / फैब्स / मेडअप्स, हथकरघा उत्पाद आदि।	47198047
महाराष्ट्र	सोलापुर	मानव निर्मित सूत / फैब्स / मेडअप्स आदि।	12561813
महाराष्ट्र	सोलापुर	सभी वस्त्रों का रेडिमेड गारमेंटस	3489337
महाराष्ट्र	सोलापुर	कालीन	804
महाराष्ट्र	सोलापुर	हस्तशिल्प हाथ से बने कालीन को छोड़कर	350795
महाराष्ट्र	सोलापुर	प्लास्टिक और लिनोलियम	11302246
महाराष्ट्र	सोलापुर	अन्य	201221937

स्रोतः डीजीसीआईएस

भारत सरकार	लोक सभा
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	अतारांकित प्रश्न सं० 2398

दिनांक 16 मार्च, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

सुपारी का आयात

2398 श्री नलीन कुमार कटीलः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बांग्लादेश और श्रीलंका सहित अन्य देशों से सुपारी का आयात किया जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में आयात की गई सुपारी का देश–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या घरेलू बाजार में सुपारी की कीमतों पर ऐसे आयात का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में सुपारी उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) एवं (ख): पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान मुख्य रुप से श्रीलंका और इंडोनेशिया से सुपारी का आयात हुआ है। पिछले तीन वर्षो और मौजूदा वर्ष के लिए सुपारी के देश–वार और वर्ष–वार आयात के आंकड़े अनुलग्नक में दिए गए है।

(ग) और (घ): वर्ष 2019–20 स सुपारी का औसत मूल्य नीचे तालिका में दिया गया है।

(मूल्य रुपए प्रति क्विंटल में)

अवधि	कोझीकोड (सुपारी सूखो)			कासरगोड (सुपारी सूखी)		
औसत मूल्य	2019–20	2020–21	2021–22 (जनवरी, 2022 तक)	2019–20	2020–21	2021–22 (जनवरी, 2022 तक)
	21797	28658	35397	27158	33335	42872

सोतः कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

देश में 2020–21 के दौरान सुपारी का उत्पादन 15.63 लाख टन और आयात 23988 टन हुआ, जो उत्पादन का केवल 1.5 प्रतिशत है, जिसका मूल्य पर ज्यादा असर नहीं पड़ सकता है।

सरकार ने देश में सुपारी के आयात को हतोत्साहित करन के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:–

(i) देश में सुपारी का आयात 100% का आयात शुल्क लगाकर प्रतिबंधित है। (दिनांक 09.11.2011 की 99/2011–सीमा शुल्क अधिसूचना के अनुसार, बांग्लादश, भूटान, मालदीव, नेपाल और अफगानिस्तान जैसे सबसे कम विकसित सार्क देशों को इस पूरे आयात शुल्क का भुगतान करने से छूट दी गई है)

(ii) सीमा शुल्क प्राधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे उद्गम नियमों की अत्यंत सावधानी से जांच करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि साफ्टा के तहत आयात शुल्क छूट का लाभ उठाते हुए सार्क के अलावा अन्य देशों में उगाए जाने वाले सुपारी का आयात हमाारे पड़ोसी देशों के माध्यम से नहीं किया जाए।

(iii) निर्बाध आयात को प्रतिबंधित करने और भारतीय बाजार में निम्न गुणवत्ता वाले सुपारी के प्रवेश को रोकने और घरेलू कीमतों को अस्थिर होने से रोकने के लिए सुपारी पर न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) लगाया गया है। इसे पहली बार अगस्त 2012 में शुरु किया गया था और उस समय एमआईपी 75 रुपये प्रति किलोग्राम था और इसे उत्पादन लागत और कीमत में वृद्धि के अनुपात में समय–समय पर संशोधित किया गया है। वर्तमान में, एमआईपी 251 रुपये पति किलोग्राम के सीआईएफ (लागत, बीमा और माल ढुलाई) मूल्य पर नियत किया गया है, इस मूल्य से नीचे सुपारी का आयात निषिद्ध है।

(iv) इस मुद्दे के समाधान के लिए, सरकार ने जुलाई, 2018 में सुपारी की आयात नीति को इसके आयात को 251/– रुपये प्रति किलोग्राम से नीचे निषिद्ध करते हुए आगे संशोधित किया।

(v) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने अपने फील्ड कार्यालयों को आयात खेपों को मंजूरी देने से पहले सुपारी की गुणवत्ता मानकों का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी है।

(vi) फ्रंटलाइन प्रदर्शन भूखंडों की स्थापना और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके सुपारी क बागनों में बहु–प्रजातोय फसल रोपण की प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना।

(vii) केरल और कर्नाटक के चयनित क्षेत्रों में फलों के सड़ने को नियंत्रित करने में नए कवकनाशी मंडीप्रोपामिड के प्रभाव का प्रदर्शन।

(viii) सुपारी में रुट ग्रब के नियत्रंण में ईपीएन (एंटोमोपैथोजेनिक नेमाटोड) के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए फ्रंटलाइन प्रदर्शन भूखंडो की स्थापना की जा रही है।

(ix) सुपारी के बौने हाइब्रिड का प्रगतिशील किसानों के बीच इसके लाभों को बढ़ावा देने हेतु प्रदर्शन।

अनुलग्नक

दिनांक 16 मार्च, 2022 को उत्तर दिए जाने हेतु लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2398 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

सुपारी आयात का देश–वार और वर्ष–वार विवरण:

(मात्राः टन, मूल्यः लाख रुपए में)

देश	2018-19		2019-20		2020-21		2021-22 (अप्रैल- जनवरी)*	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
श्रीलंका	10993	29059	9555	25572	10093	27911	9076	28353
इंडोनेशिया	7124	13637	7107	8535	9861	12383	4885	8421
म्यांमार					3818	9994	2882	7675
संयुक्त अरब अमीरात					217	570	612	1228
वियतनाम	32	57	98	145				
अफगानिस्तान	3	9						
ऑस्ट्रेलिया	0	2						
मलेशिया							222	583
नेपाल							120	307
सिंगापुर							93	245
कनाड़ा			1	5				
कुल	**18152**	**42764**	**16761**	**34257**	**23988**	**50859**	**17890**	**46812**

स्रोतः डीजीसीआई एण्ड एस *अनंतिम।

****